अध्याय I

राज्य सरकार का वित्त

1. यह अध्याय पिछले वर्ष के वित्त लेखे के लेखापरीक्षा के तुलना में बिहार सरकार के मुख्य राजकोषीय संग्रह में परिवर्तन का विश्लेषण एवं 31 मार्च 2019 को वर्ष 2018–19 के लिए राज्य सरकार के वित्त का व्यापक भाव उपलब्ध कराता है।

राज्य की रूपरेखा ***परिशिष्ट 1.1*** में दर्शाया गया है।

1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0)

जी0डी0पी0 और जी0एस0डी0पी0 एक निश्चित समय में देश और राज्य के भीतर अधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है और देश और राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) और राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) की चालू मूल्यों और स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 2011–12) पर वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियाँ ***तालिका 1.1*** में दिए गए हैं।

तालिका 1.1: भारत का सकल घरेलू उत्पाद और बिहार का जी0एस0डी0पी0 का तुलनात्मक विवरण

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
चालू मूल्यों पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,24,67,959	1,37,71,874	1,53,62,386	1,70,95,005	1,90,10,164
भारत के सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशतता)	10.99	10.46	11.55	11.28	11.20
चालू मूल्यों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	3,42,951	3,71,602	4,22,316	4,84,740	5,57,490
चालू मूल्यों पर राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशतता)	8.15	8.35	13.65	14.78	15.01
स्थिर मूल्यों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	2,79,482	2,96,488	3,23,004	3,56,768	3,94,350
स्थिर मूल्यों पर राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशतता)	3.65	6.08	8.94	10.45	10.53

(स्रोतः जी0डी0पी0/जी0एस0डी0पी0 के आँकड़ें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.08.2019 को जारी)

बिहार के जी0एस0डी0पी0 का भारत के जी0डी0पी0 में योगदान वित्तीय वर्ष 2016–17 में 2.75 प्रतिशत से बढ़कर 2018–19 में 2.93 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, वर्ष 2018–19 में राज्य का प्रति व्यक्ति जी0एस0डी0पी0 ₹ 47,541 था जबकि अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति जी0डी0पी0 ₹ 1,42,719 था।

सरकारी लेखे की संरचना ***परिशिष्ट 1.2*** के ***भाग–क*** में वर्णित है और वित्त लेखे की रूप रेखा ***भाग–ख*** में है।

1.1.1 राजकोषीय लेन–देन का सारांश

तालिका 1.2 एवं **1.3,** वर्ष 2014–19 के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन–देन के सारांश को दर्शाता है। जबकि 2018–19 के दौरान, संपूर्ण राजकोषीय स्थिति के साथ–साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों का विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 1.3*** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.2: 2014-19 के दौरान प्राप्तियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2017-18 के सापेक्ष 2018-19 में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता
खण्ड–'क' राजस्व						
राजस्व प्राप्तियाँ	78,417	96,123	1,05,585	1,17,447	1,31,794	12.22
कर राजस्व	*20,750*	*25,449*	*23,742*	*23,137*	*29,408*	*27.10*
करेत्तर राजस्व	*1,558*	*2,186*	*2,403*	*3,507*	*4,131*	*17.79*
संघीय कर/शुल्कों का अंश	*36,963*	*48,923*	*58,881*	*65,083*	*73,603*	*13.09*
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	*19,146*	*19,565*	*20,559*	*25,720*	*24,652*	*(-) 4.15*
खण्ड–'ख' पूँजीगत एवं अन्य						
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0	0
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	1,493	19	23	22	1,825	8195.45
अंतर्राज्यीय समाशोधन	0	0	0	0	0	0
लोक ऋण प्राप्तियाँ *	13,918	18,383	21,577	13,169	18,668	41.76
आकस्मिकता निधि	1,650	4,477	5,438	6,053	6,730	11.18
लोक लेखा प्राप्तियाँ	40,251	49,106	61,730	57,107	68,259	19.53
आरंभिक नकद शेष	6,156	6,337	11,717	17,062	22,081	29.42
योग	**1,41,885**	**1,74,445**	**2,06,070**	**2,10,860**	**2,49,357**	**18.26**

** वर्ष के दौरान कोई अर्थोपाय अग्रिमों की निकासी नहीं की गई।*

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.3: 2014–19 के दौरान व्यय का सारांश

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2017-18 के सापेक्ष 2018-19 में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता
खण्ड–'क' राजस्व						
राजस्व व्यय	72,570	83,616	94,765	1,02,624	1,24,897	21.70
सामान्य सेवाएँ	*26,408*	*27,972*	*30,607*	*33,374*	*38,691*	*15.93*
सामाजिक सेवाएँ	*31,713*	*35,943*	*40,737*	*45,770*	*58,284*	*27.34*
आर्थिक सेवाएँ	*14,445*	*19,697*	*23,417*	*23,476*	*27,918*	*18.92*
सहायता अनुदान एवं अंशदान	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*0*
खण्ड–'ख' पूँजीगत एवं अन्य						
पूँजीगत व्यय	18,150	23,966	27,208	28,907	21,058	(-) 27.15
ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	369	621	114	243	1,470	504.94
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	3,609	4,125	4,215	4,654	7,230	55.35
आकस्मिकता निधि	1,650	4,477	5,438	6,053	6,730	11.18
लोक लेखा संवितरण	39,200	45,923	57,268	46,298	67,135	45.01
अंतिम नकद शेष	6,337	11,717	17,062	22,081	20,837	(-) 5.63
योग	**1,41,885**	**1,74,445**	**2,06,070**	**2,10,860**	**2,49,357**	**18.26**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ/राजस्व व्यय/पूँजीगत व्यय की प्रवृत्तियाँ चालू मूल्यों के साथ–साथ स्थिर मूल्यों पर नीचे **तालिका 1.4** में प्रस्तुत है:

तालिका 1.4: जी0एस0डी0पी0[1] के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ/राजस्व व्यय/ पूँजीगत व्यय की प्रवृत्तियाँ

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ					
चालू मूल्यों पर राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	78,417	96,123	1,05,585	1,17,447	1,31,794
चालू मूल्यों पर राजस्व प्राप्तियो का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.78	22.58	9.84	11.23	12.22
स्थिर मूल्यों पर राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	63,754	76,898	80,599	86,358	93,471
स्थिर मूल्यों पर राजस्व प्राप्तियों का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.16	20.62	4.81	7.15	8.24
चालू मूल्यों पर राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	22.87	25.87	25.00	24.23	23.64
जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व व्यय					
चालू मूल्यों पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	72,570	83,616	94,765	1,02,624	1,24,897
चालू मूल्यों पर राजस्व व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	16.15	15.22	13.33	8.29	21.70
स्थिर मूल्यों पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	59,000	66,893	72,340	75,459	88,579
स्थिर मूल्यों पर राजस्व व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.43	13.38	8.14	4.31	17.39
चालू मूल्यों पर राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	21.16	22.50	22.44	21.17	22.40
जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष पूँजीगत व्यय					
चालू मूल्यों पर पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	18,150	23,966	27,208	28,907	21,058
चालू मूल्यों पर पूँजीगत व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	29.64	32.04	13.53	6.24	(-)27.15
स्थिर मूल्यों पर पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	14,756	19,173	20,769	21,255	14,935
स्थिर मूल्यों पर पूँजीगत व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	24.37	29.93	8.32	2.34	(-)29.73
चालू मूल्यों पर पूँजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	5.29	6.45	6.44	5.96	3.78

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

मुद्रास्फीति के गणना (स्थिर मूल्य पर) के बाद, 2014–15 की तुलना में 2018–19 में, राजस्व व्यय की वृद्धि दर में बढ़ोतरी और राजस्व प्राप्तियों और पूँजीगत व्यय में कमी आई। 2017–18 की तुलना में, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय की वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि पूँजीगत व्यय के वृद्धि की दर पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम थी।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

वर्ष 2018–19 के दौरान, राज्य का प्रदर्शन बजट में दिए गए प्रमुख परिवर्तनों के अंतर्गत, चौदहवें वित्त आयोग के अनुशंसाओं और बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार मध्यावधि राजकोषीय नीति में लक्षित वास्तविक के अनुसार **तालिका 1.5** में दिया गया है।

तालिका 1.5: 2018–19 के दौरान राज्य का प्रदर्शन

मुख्य राजकाषीय संकेतक	चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बी0एफ0आर0बी0एम0 के अन्तर्गत मध्यावधि राजकोषीय नीति (एम0टी0एफ0पी0) के अनुसार लक्ष्य	बजट अनुमान में निर्धारित लक्ष्य	वास्तविकी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजस्व घाटा(-)/अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	शून्य घाटा	राजस्व अधिशेष 2007–08 में हुआ और तब से यह जारी है	₹ 21,311.74	₹ 6,896.65
चालू मूल्य पर राजकोषीय घाटा/ जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत में)	3.50	3.00	2.17	2.48
चालू मूल्य पर जी0एस0डी0पी0 की तुलना में राज्य के कुल बकाया ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	24.89	24.89	32.62	30.30

(स्रोतः राज्य सरकार से प्राप्त सूचना)

[1] जी0एस0डी0पी0 डिफ्लेटर = जी0एस0डी0पी0 चालू मूल्य पर/जी0एस0डी0पी0 स्थिर मूल्य पर।

जैसा कि ऊपर तालिका से देखा गया कि राज्य के लिए चौदहवें वित्त आयोग और बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के एम0टी0एफ0पी0 द्वारा निर्धारित लक्ष्य, राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा के लिए हासिल किया है जबकि बकाया ऋण का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात का लक्ष्य हासिल नहीं किया। आगे, राज्य ने 2018–19 के लिए बजट अनुमानों में अनुमानित बकाया ऋण का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात का लक्ष्य हासिल किया जबकि राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल नहीं किया है।

यद्यपि, राज्य को राजस्व अधिशेष ₹ 6,896.65 करोड़ प्राप्त हो चुका है फिर भी यह ₹ 600.75 करोड़ से अधिक बतलाया गया है। उसी प्रकार, राजकोषीय घाटा (₹ 13,806.76 करोड़) भी ₹ 600.75 करोड़ से कम बतलाया गया है जो कि **कंडिका 3.11** में विस्तृत है। दूसरे शब्दों में, वास्तविक राजस्व अधिशेष ₹ 6,295.90 करोड़ एवं राजकोषीय घाटा ₹ 14,407.51 करोड़ है।

1.2 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य वित्तीय पैमाने –राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारंभिक घाटा–किसी विशेष अवधि में राज्य सरकार के वित्त के संपूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा इंगित करता है। सरकारी लेखा में घाटा, प्राप्ति तथा व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। घाटे की प्रवृत्ति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन को इंगित करता है। साथ ही घाटे का वित्तीय पोषण एवं संसाधनों की उगाही तथा प्रयोग राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण सूचक है। यह खंड इन घाटों की प्रवृत्ति, प्रकृति परिणाम और इनके वित्तीय पोषक के तरीके तथा बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में राजस्व एवं राजकोषीय घाटा के वास्तविक स्तर को दर्शाता है।

1.2.1 राजकोषीय घाटे की संरचना और वित्त पोषण

राजकोषीय घाटा, राजस्व और गैर–ऋण प्राप्तियों से राजस्व एवं पूँजीगत व्यय (ऋण और अग्रिम सहित) के अधिकता को पूरा करने के लिए राज्य के कुल वित्त पोषण (मुख्य रूप से आर0बी0आई0 से अपने नकदी और निवेशित शेष की निकासी एवं उधारी द्वारा) का प्रतिनिधित्व करता है। राजकोषीय घाटे के वित्त पोषक का स्वरूप **तालिका 1.6** में परिलक्षित होता है।

तालिका 1.6: राजकोषीय घाटा के वित्त पोषण एवं घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजकोषीय घाटा[2] (कोष्ठक में दिए गए आँकड़ें जी0एस0डी0पी0 से प्रतिशत को दर्शाते है)		**11,178.50 (3.26)**	**12,061.59 (3.26)**	**16,479.15 (3.87)**	**14,304.83 (2.93)**	**13,806.76 (2.48)**
1	राजस्व अधिशेष	5,847.56	12,507.16	10,819.81	14,823.01	6,896.65
2	निवल पूँजीगत व्यय	18,150.41	23,966.02	27,208.40	28,906.95	21,058.25
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	(-)1,124.35	602.73	90.56	220.90	(-)354.84
राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण का स्वरूप*						
1	बाजार उधारी	6,666.51	10,233.12	16,804.96	8,908.00	10,903.07
2	भारत सरकार से ऋण	84.67	115.86	757.51	586.11	1,603.45
3	एन0एस0एस0एफ0 को जारी विशेष प्रतिभूति	3,150.22	2,024.86	(-)1,713.12	(-)1,768.75	(-)1,819.02
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	407.18	1,884.33	1,512.84	790.51	750.88
5	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	(-) 182.77	(-)73.58	99.63	(-)80.25	277.80
6	जमा एवं अग्रिम	2,222.57	3,731.69	5,393.40	10,314.32	331.52

[2] उदय पैकेज के व्यय में ₹ 1,554.52 करोड़ 2015–16 एवं ₹ 777.26 करोड़ 2016–17 शामिल है, ताकि वित्त लेखे में प्रदर्शित वित्तीय पद्धति के समरूप हो। उदय के दिशा निर्देशानुसार राज्य द्वारा लिया गया कर्ज राज्य के राजकोषीय घाटे में सम्मिलित नहीं होगा। राजकोषीय घाटा उदय रहित ₹ 10,507.07 करोड़ एवं ₹ 15,701.89 करोड़ क्रमशः 2015–16 एवं 2016–17 के लिए था।

विवरण		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
7	उचंत तथा विविध	(-) 1,231.88	(-) 5,245.97	(-)5,666.65	(-)3,813.95	1,793.23
8	प्रेषण	(-) 11.98	6.05	(-) 7.05	(-) 2.76	76.05
9	आरक्षित निधि	(-) 245.12	(-) 401.15	(-) 712.03	(-) 696.39	0.00
10	अंतर्राज्यीय समाशोधन	-	-	-	-	-
11	नकद शेष में कमी/वृद्धि#	319.10	(-) 213.62	9.66	68.00	(-)110.22
12	**राजकोषीय घाटा**	**11,178.50**	**12,061.59**	**16,479.15**	**14,304.83**	**13,806.76**

***ये सभी आँकड़े वर्ष के दौरान निवल संवितरण/बर्हिगमन के है।**
#नकद शेष (रिजर्व बैंक में जमा और कोषागार में प्रेषण)।

(स्रोतः संबंधित वर्षों का वित्त लेखे)

1.2.2 घाटे की गुणवत्ता

प्राथमिक घाटा पूर्व में लिए गए उधारों पर ब्याज भुगतान को छोड़कर चालू वर्ष के वित्तीय परिचालन का प्रमाण है। राज्य का प्राथमिक घाटा **तालिका 1.7** में दिखाया गया है।

तालिका 1.7: प्राथमिक घाटा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्तियाँ[3]	प्राथमिक व्यय[4]	राजकोषीय घाटा	ब्याज अदायगी	प्राथमिक घाटा
1	2	3	4	5	6 (4-5)
2014-15	79,910	84,960	11,179	6,129	5,050
2015-16	96,142	1,01,105	12,061	7,098	4,963
2016-17	1,05,608	1,13,896	16,479	8,191	8,288
2017-18	1,17,469	1,22,720	14,305	9,054	5,251
2018-19	1,33,619	1,37,354	13,807	10,071	3,736

(स्रोतः संबंधित वर्षों का वित्त लेखे)

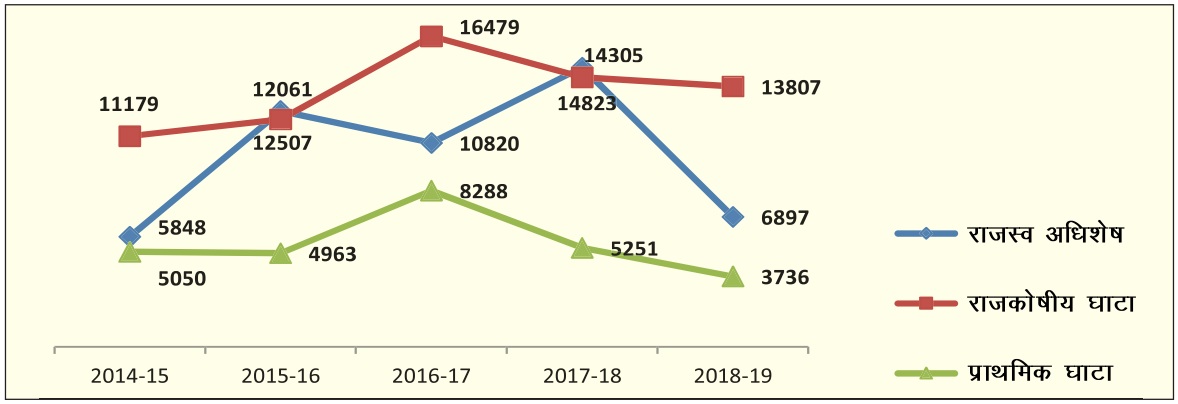
वर्ष 2018–19 में, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा, वर्ष 2017–18 के सापेक्ष क्रमशः तीन प्रतिशत और 29 प्रतिशत कम रहा, जिसका मुख्य कारण पूँजीगत व्यय में ₹ 7,848.70 करोड़ की कमी थी।

1.2.3 घाटे की प्रवृत्ति

चार्ट 1.1 2014–15 से 2018–19 की अवधि में घाटे के संकेतकों की प्रवृत्ति प्रस्तुत करता है।

चार्ट 1.1: घाटे के संकेतकों में प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



(स्रोतः संबंधित वर्षों का वित्त लेखे)

[3] गैर ऋण प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम की वसूलियाँ और प्राप्तियाँ का योग है।
[4] प्राथमिक व्यय = (राजस्व व्यय – ब्याज भुगतान) + पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम।

तालिका 1.8: 2014–19 की अवधि में घाटे के संकेतकों में प्रवृत्ति

(आँकड़ें प्रतिशत में)

विविरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व अधिशेष / जी0एस0डी0पी0	1.71	3.37	2.56	3.06	1.24
राजकोषीय घाटा / जी0एस0डी0पी0	3.26	3.25	3.90	2.95	2.48
प्राथमिक घाटा / जी0एस0डी0पी0	1.47	1.34	1.96	1.08	0.67

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य के वित्त लेखे)

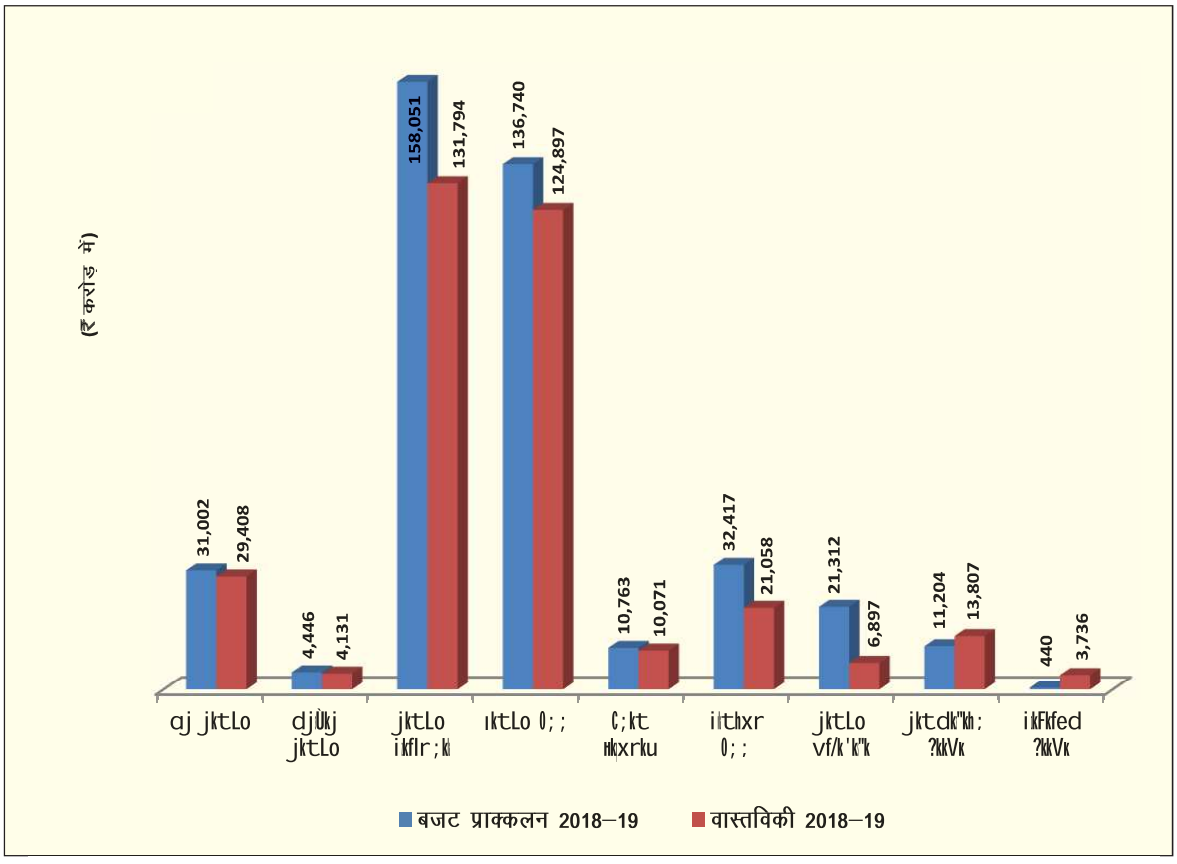
चार्ट 1.1 को देखने से पता चलता है कि 2018–19 में राजस्व अधिशेष ₹ 7,926 करोड़ कम हुआ जबकि राजकोषीय घाटा ₹ 498 करोड़ कम हो गया। राजकोषीय घाटे का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात 2.48 प्रतिशत था जो वर्ष 2018–19 मे एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम में निर्धारित सीमा तथा चौदहवें वित्त आयोग मे निर्धारित लक्ष्य के भीतर था। राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा दोनों 2017–18 से घटोतरी प्रवृत्ति में है।

1.2.4 बजट प्राक्कलन एवं वास्तविकी

बजट अनुमानों के विरूद्ध वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय में कमी, बजट तैयार करने में या तो असंभावित और अप्रत्याशित घटनाओं या कम/अधिक राजस्व या व्यय के अनुमान के कारण होता है। इसका विपरीत प्रभाव वांछित राजकोषीय उद्देश्यों पर पड़ता है।

वर्ष 2018–19 के चयनित राजकोषीय मानक के बजट प्राक्कलन की तुलना में यथा वास्तविकी **चार्ट 1.2** एवं ***परिशिष्ट 1.4*** में दिखाया गया है।

चार्ट 1.2: चयनित राजकोषीय मानकः 2018–19 के दौरान बजट प्राक्कलन एवं वास्तविकी



(स्रोतः बजट दस्तावेज तथा राज्य का वित्त लेखे, वर्ष 2018–19)

उपर्युक्त चार्ट 2018–19 के दौरान बजट प्राक्कलन के विरूद्ध वास्तविक आँकड़ों में हुए परिवर्तन को दर्शाता है, जिसकी समीक्षा नीचे दी गयी है:

- कर राजस्व में 5.14 प्रतिशत और भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों में 46.91 प्रतिशत की कमी के कारण राजस्व प्राप्तियाँ बजट आकलन से 16.61 प्रतिशत कम था।
- सामान्य सेवाओं में 3.83 प्रतिशत (राजकोषीय सेवाएँ में 20.91 प्रतिशत और प्रशासनिक सेवाओं में 6.10 प्रतिशत की कमी) और सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत 12.91 प्रतिशत (एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण में 26.26 प्रतिशत और श्रम और श्रम कल्याण में 24.48 प्रतिशत) की कमी के कारण राजस्व व्यय बजट अनुमान से 8.66 प्रतिशत कम था।
- सामाजिक सेवाओं में 21.59 प्रतिशत और आर्थिक सेवाओं में 42.84 प्रतिशत (ग्रामीण विकास में 90.20 प्रतिशत और कृषि और संबद्ध सेवाओं में 56.73 प्रतिशत) कम खर्च के कारण पूँजीगत व्यय बजट अनुमान से 35.04 प्रतिशत कम था।
- राजस्व व्यय में 21.70 प्रतिशत की वृद्धि के कारण राजस्व अधिशेष बजट अनुमान से 67.64 प्रतिशत कम था।
- सहायता अनुदानों में 46.91 प्रतिशत से कमी होने के कारण राजकोषीय घाटा बजट अनुमान से 23.23 प्रतिशत अधिक था।
- प्राथमिक घाटा बजट आकलन से 748.12 प्रतिशत ज्यादा था।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को बजट तैयारी की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए, ताकि बजट अनुमान और वास्तविकता के बीच का अंतर कम हो।*

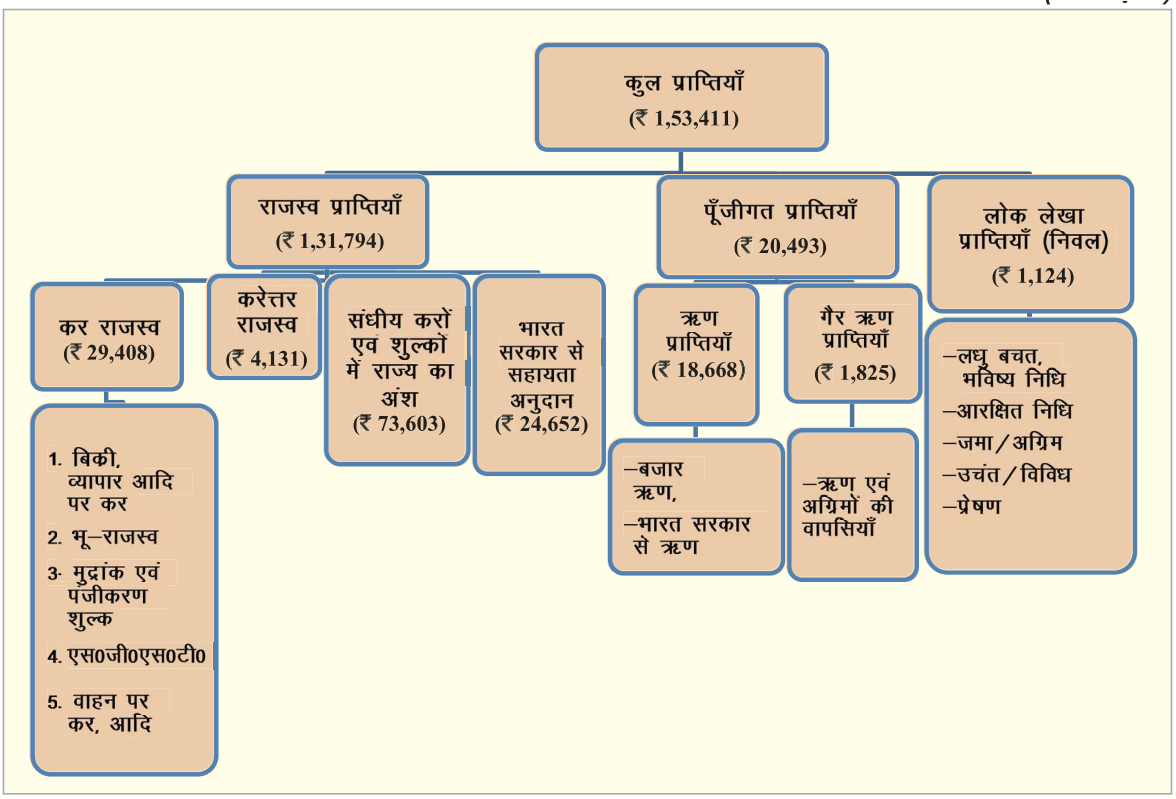
1.3 राज्य के वित्तीय संसाधन

1.3.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

वर्ष 2014–19 के दौरान कुल प्राप्तियों के विभिन्न घटक, इन घटकों के विचलन की प्रवृत्ति और 2018–19 के दौरान संसाधनों के संघटक को क्रमशः **चार्ट 1.3, 1.4 और 1.5** में क्रमशः प्रदर्शित किया गया है।

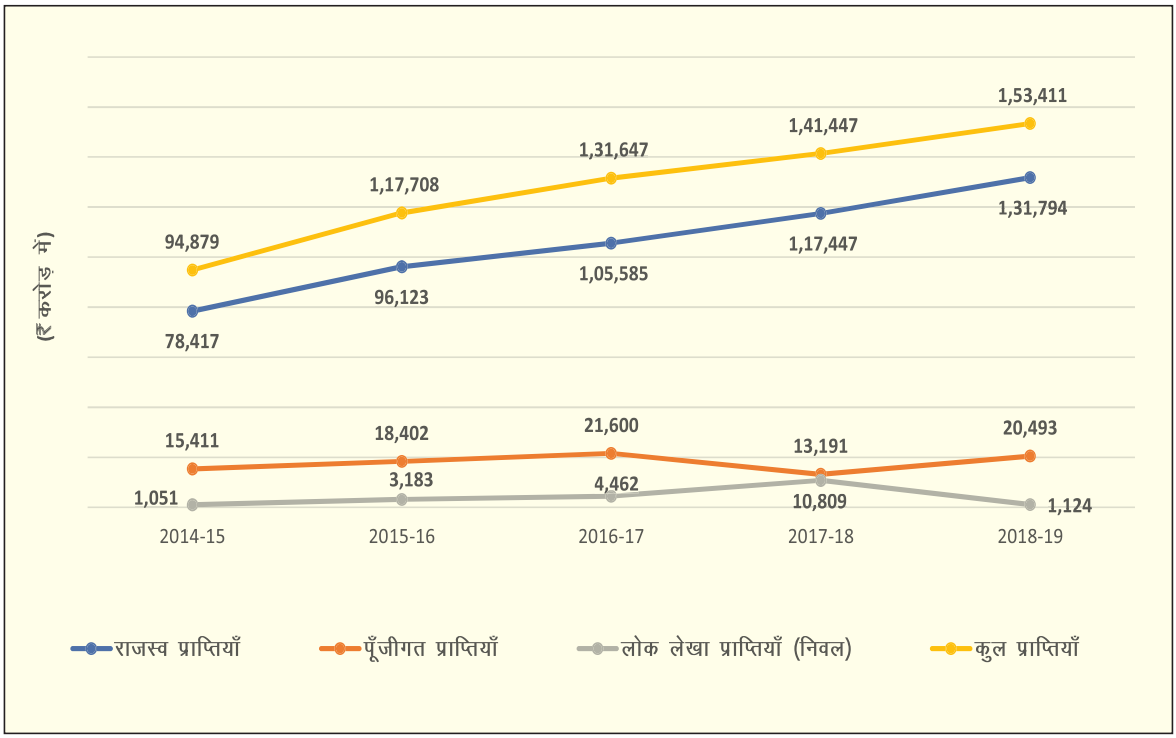
चार्ट 1.3: वर्ष 2018–19 के दौरान कुल प्राप्तियों की संरचना

(₹ करोड़ में)



(स्रोतः राज्य का वित्त लेखे, वर्ष 2018–19)

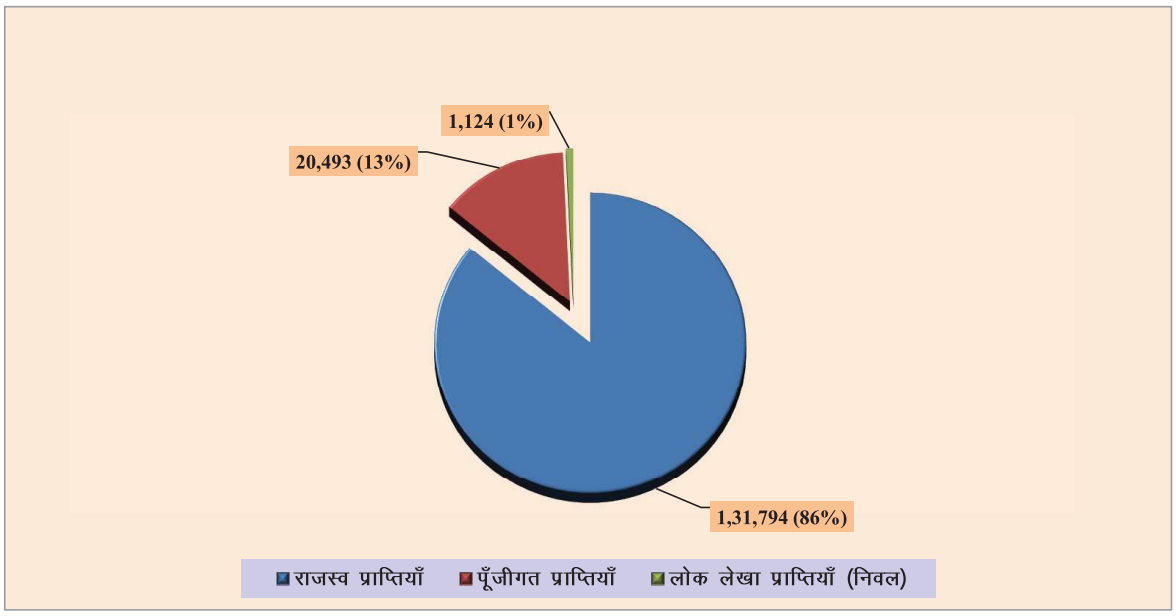
चार्ट 1.4: राज्य के प्राप्तियों की प्रवृत्ति



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.5: वर्ष 2018–19 के दौरान कुल प्राप्तियों के घटक

(₹ करोड़ में)



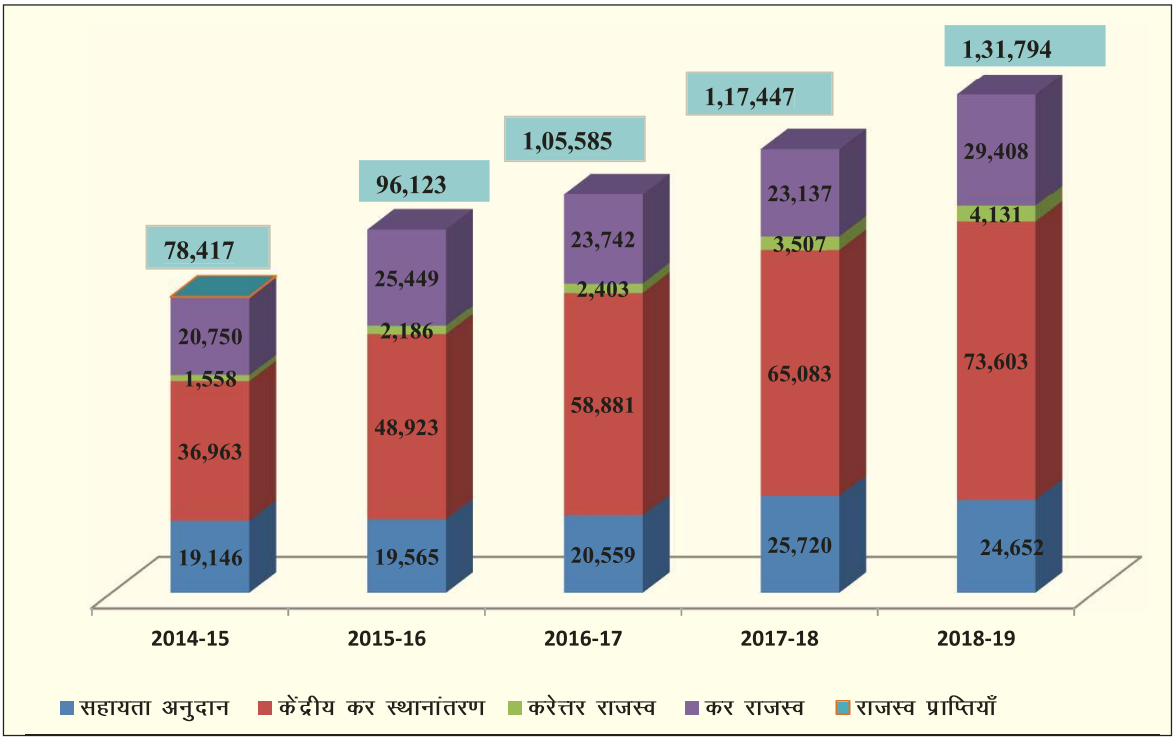
(स्रोतः राज्य का वित्त लेखे वर्ष 2018–19)

1.3.2 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे का विवरण–14 सरकार के राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत विवरण देता है। वर्ष 2014–19 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना को ***परिशिष्ट 1.5*** तथा **चार्ट 1.6** में भी दर्शाया गया है।

चार्ट 1.6: वर्ष 2014–19 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियाँ के घटक

(₹ करोड़ में)



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2014–19 के दौरान, राज्य का स्व राजस्व (कर एवं गैर कर) कुल राजस्व प्राप्तियाँ का 23 प्रतिशत से 29 प्रतिशत था। राजस्व प्राप्तियाँ का प्रमुख घटक केन्द्रीय कर स्थानांतरण था जो 47 प्रतिशत से 56 प्रतिशत के बीच था।

1.3.2.1 राज्य के स्व–संसाधन

संसाधनों के संग्रहण में राज्य का प्रदर्शन का मूल्यांकन, कर राजस्व और करेत्तर राजस्व के अनुसार किया जाता है, जिसमें केन्द्रीय करों में राज्यांश एवं सहायता अनुदान शामिल नहीं है जो कि वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित होते है।

राज्य के स्व राजस्व (कर एवं गैर–कर राजस्व) वर्ष 2017–18 से 2018–19 में ₹ 26,643.23 करोड़ से बढ़ कर ₹ 33,538.70 करोड़ हो गया। राज्य के कर राजस्व और करेत्तर राजस्व एवं बजट अनुमानों की तुलना नीचे **तालिका 1.9** में दी गई है:

तालिका 1.9: वर्ष 2018–19 के लिए प्रक्षेपण एवं वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	बजट प्रक्षेपण	वास्तविकी	भिन्नता (प्रतिशत में)
कर राजस्व	31,002.03	29,408.14	5.14
करेत्तर राजस्व	4,445.89	4,130.56	7.09

(स्रोतः वर्ष 2018–19 के वित्त लेखे एवं बजट प्राक्कलन)

कर राजस्व

वर्ष 2014–15 से 2018–19 के दौरान कर राजस्व के विवरण और 2017–18 के विरूद्ध 2018–19 के दौरान भिन्नता सहित **तालिका 1.10** मे दिखाए गए हैं:

तालिका 1.10: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2017–18 से 2018–19 के दौरान भिन्नता (प्रतिशत)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8,607	10,603	11,873	8,298	6,584	(-) 20.65
राज्य माल और सेवा कर	-	-	-	6,747	15,288	126.59
राज्य उत्पाद कर	3,217	3,142	30	(-) 3	(-)10	(-)233.33
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	2,699	3,409	2,982	3,726	4,189	12.43
वाहन कर	964	1,081	1,257	1,599	2,086	30.46
भू–राजस्व	277	695	971	779	477	(-) 38.77
माल एवं यात्रियों पर कर	4,451	6,087	6,245	1,645	399	(-) 75.74
अन्य कर[5]	535	432	384	346	395	14.16
योग	**20,750**	**25,449**	**23,742**	**23,137**	**29,408**	**27.10**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

बिक्री, व्यापार आदि पर कर और माल एवं यात्री कर में कमी जुलाई 2017 से लागू वस्तु और सेवा कर (जी0एस0टी0) के कार्यान्वयन के कारण हुई।

[5] अन्य करों में शामिल हैं – निगम कर, निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, आय और व्यय पर अन्य कर, धन पर कर, विद्युत पर कर और वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर।

करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व में सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और आपूर्ति के लिए प्राप्तियाँ और ब्याज प्राप्तियाँ शामिल हैं। वर्ष 2018–19 में करेत्तर राजस्व, कुल राजस्व प्राप्तियों का 3.13 प्रतिशत है। 2014–19 के दौरान करेत्तर राजस्व प्राप्तियों का विवरण नीचे **तालिका 1.11** में दिया गया है:

तालिका 1.11: करेत्तर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

करेत्तर राजस्व	2014.15	2015.16	2016.17	2017.18	2018.19	2017–18 से 2018–19 के दौरान भिन्नता (प्रतिशत)
ब्याज प्राप्तियाँ	344.77	583.66	939.91	1,577.24	1,371.94	(-) 13.02
गैर–लौह खनन और धातुकर्म उद्योग	879.87	971.34	997.60	1,082.67	1,560.65	44.15
अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ[6]	333.34	630.64	465.61	846.83	1,197.97	41.47
योग	**1,557.98**	**2,185.64**	**2,403.12**	**3,506.74**	**4,130.56**	**17.79**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2018–19 में खनन प्राप्ति में वृद्धि का मुख्य कारण जुर्माना अधिरोपण एवं चूना पत्थर से प्राप्तियाँ विविध जमा शीर्ष के बदले खनन शीर्ष में कार्य प्रमण्डल द्वारा रॉयलटी का जमा एवं रेत के बंदोबस्त मूल्य में वृद्धि था।

1.3.2.2 वस्तु एवं सेवा कर (जी0एस0टी0)

राज्य सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम कार्यान्वित किया है जो 1 जूलाई 2017 से प्रभाव में हैं। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों का क्षतिपूर्ति) अधिनियम 2017 के अनुसार, केन्द्र सरकार राज्यों को पाँच वर्ष की अवधि के लिए जी0एस0टी0 के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई करेगा। राज्य को देय क्षतिपूरक की गणना अंतिम राजस्व के आँकड़ें की प्राप्ति के बाद, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए किया जाएगा जिसका लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। जी0एस0टी0 के तहत लगाए गए करों का एक आधार वर्ष (2015–16) का राजस्व आँकड़ा जी0एस0टी0 अधिनियम के तहत अंतिम रूप दिया गया है। बिहार के मामले में, आधार वर्ष (2015–16) में राजस्व ₹ 12,620.56 करोड़ था। किसी राज्य का, किसी भी वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व की गणना, उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित विकास दर (प्रति वर्ष 14 प्रतिशत) को लागू करके की जाएगी।

आधार वर्ष के आँकड़े के अनुसार वर्ष 2018–19 के लिए अनुमानित राजस्व ₹18,697.92 करोड़ था। वर्ष 2018–19 के लिए जी0एस0टी0 के तहत राजस्व का आँकड़ा प्राप्तियों की प्रकृति के अनुसार वित्त खातों में दर्शाया गया है, यानी राज्य वस्तु व सेवा कर (एस0जी0एस0टी0), एस0जी0एस0टी0 और आई0जी0एस0टी0 (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर) के इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रॉस उपयोगिता, एस0जी0एस0टी0 के कर घटक का आई0जी0एस0टी0–ट्रांसफर–इन और आई0जी0एस0टी0 से अग्रिम बटवारा। ₹18,697.92 करोड़ के अनुमानित राजस्व के विरुद्ध, जी0एस0टी0 के कारण राज्य की कुल प्राप्ति ₹ 14,644.54 करोड़ थी। केन्द्र सरकार से ₹ 2,571.00 करोड़ की क्षतिपूर्ति की प्राप्ति के बाद, वर्ष 2018–19 के लिए जी0एस0टी0 के कार्यान्वयन पर घाटा ₹ 1,482.38 करोड़ था। 2017–18 में आई0जी0एस0टी0 की अग्रिम बटवारे के रूप में बिहार सरकार को

[6] अन्य करेत्तर प्राप्ति में शामिल–पुलिस लोक कार्य, कृषि कर्म, सड़क एवं पुल, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता प्राप्ति आदि।

₹ 552.00 करोड़ मिले जो कि वित्त वर्ष 2018–19 में 10 समान किश्तों में काटे जाने थे। हालाँकि दो किस्तों में केवल ₹ 110.40 करोड़ की कटौती की गई है और बकाया शेष राशि असमायोजित है।

जी0एस0टी0 के संग्रह के स्वचालन के कारण, यह आवश्यक है कि लेखा परीक्षा के दौरान सभी लेन–देन की सामान्य जॉच न कर व्यापक जाँच करके खातों को प्रमाणित करने के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत सरकार के संवैधानिक अधिदेश को पूरा करना है। अभी तक लेखापरीक्षा को जी0एस0टी0 डेटा तक आवश्यक पहुँच प्रदान नही की गई है। जी0एस0टी0 लेन–देन से संबंधित डेटा तक पहुंच नहीं होने के कारण जी0एस0टी0 प्राप्तियों के व्यापक लेखापरीक्षा में कठिनाई हो रही है। चूँकि अभिलेखों का संधारण मैन्यूअल रूप से किया गया इसलिए अपवाद स्वरूप एक बार वर्ष 2018–19 के लेखे का सत्यापन नमूना जाँच के आधार पर किया गया।।

1.3.2.3 संग्रहण पर लागत

वर्ष 2018–19 के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संग्रहण एवं उस पर हुए लागतों का विवरण **तालिका 1.12** में दिया गया है:

तालिका 1.12: राजस्व प्राप्तियों का संग्रहण एवं व्यय

क्रम सं0	विवरण	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण से व्यय की प्रतिशतता	पिछले वर्ष का अखिल भारतीय औसत
		(₹करोड़ में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	एस.जी.एस.टी.	15,288.06	113.87	0.74	0.69
2	बिक्री/व्यापार आदि पर कर	6,584.24	(-) 0.07	0.00	
3	राज्य उत्पाद	(-) 9.63	97.54	1,012.88	1.83
4	वाहन कर	2,085.94	55.89	2.68	2.61
5	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	4,188.61	64.55	1.54	2.96

(स्रोतः वर्ष 2018–19 के वित्त लेखे)

जैसा कि ऊपर की तालिका से स्पष्ट है, राज्य उत्पाद कर के संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत पूर्ववर्ती वर्ष के अखिल भारतीय औसत से अधिक था। यह मुख्य रूप से अप्रैल 2016 से राज्य में मद्य निषेध लागू होने के कारण हुआ।

तालिका 1.13: संग्रहण पर लागत

(प्रतिशत में आंकड़े)

वर्ष	वैट/बिक्री कर		वाहन कर		मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क		राज्य उत्पाद	
	बिहार सरकार	अखिल भारतीय औसत	बिहार सरकार	अखिल भारतीय औसत	बिहार सरकार	अखिल भारतीय औसत	बिहार सरकार	अखिल भारतीय औसत
2014-15	1.11	0.91	3.97	6.08	1.40	3.59	1.53	2.09
2015-16	0.53	0.66	3.68	4.99	1.62	2.87	1.58	3.21
2016-17	0.64	0.69	3.67	2.61	1.60	2.99	310.05	2.01
2017-18	0.87	0.69	3.85	2.61	1.45	2.96	2,403.50	1.83
2018-19	0.00		2.68		1.54		1,012.88	

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क के संग्रह की लागत में 2018–19 में 2017–18 की अपेक्षा वृद्धि हुई जो कि कोर्ट फीस से कम प्राप्तियों और केन्द्रीय स्टांप डिपो, नासिक से प्राप्त टिकटों की लागत में वृद्धि के कारण हुई। पुनः वाहनों पर करों के संग्रह की लागत राजस्व व्यय में कमी एवं राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के कारण घटकर 2.68 प्रतिशत हो गया।

1.3.2.4 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार को, सहायता अनुदान और संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश प्राप्त होता है। भारत सरकार के अनुदान का विवरण नीचे **तालिका 1.14** में दिया गया है।

तालिका 1.14: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
गैर–योजना अनुदान	3271.21	3,434.43	4,505.51	(-) 5.00	0.00
राज्य योजना मदों के लिए अनुदान	14,935.68	13,886.33	13,952.92	(-) 2.20	(-)2.82
केन्द्र एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजना मदों के लिए अनुदान	117.49	2,083.98	1,422.91	(-) 1.00	0.00
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	821.88	160.86	677.68	13,312.26	16,322.72
वित्त आयोग अनुदान	-	-	-	4,525.06	4,775.20
अन्य स्थानांतरण/ राज्य के लिए अनुदान/विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों	-	-	-	7,891.01	3,556.52
कुल	**19,146.26**	**19,565.60**	**20,559.02**	**25,720.13**	**24,651.62**
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	52.15	2.19	5.08	25.10	(-)4.15
राजस्व प्राप्तियाँ	78,417	96,123	1,05,585	1,17,447	1,31,794
राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष कुल अनुदान की प्रतिशतता	24.42	20.35	19.47	21.90	18.70

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018–19 में, सहायता अनुदान में ₹ 1,068.51 करोड़ की कमी हुई जो मुख्य रूप से राज्यों/विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य स्थानान्तरण/अनुदान के तहत कम प्राप्तियों के कारण थी। जैसे कि वर्ष 2017–18 में, राशि मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, सुखा एवं कम वर्षा प्रभावित क्षेत्र हेतु विशेष सहायता के तहत डीजल सब्सिडी योजना के लिए मिली थी।

1.3.2.5 बकाया राजस्व

बकाये राजस्व का विवरण नीचे **तालिका 1.15** में है:

तालिका 1.15: बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	विभाग का नाम	31 मार्च 2019 को कुल बकाया राशि	5 वर्षों से अधिक की बकाया राशि
1.	वाहन कर	परिवहन	179.30	लागू नहीं है।
2.	राज्य उत्पाद	निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध	46.54	28.38
3.	वैट/बिक्री व्यापार/जीएसटी	वाणिज्य कर	3,351.16	2,185.91
योग			**3,577.00**	**2,214.29**

(स्रोत: संबंधित विभाग)

अन्य विभागों के अधीन बकाये राजस्व का आँकड़ा अप्राप्त है। (फरवरी 2020)। वर्ष 2017–18 की अपेक्षा वैट/बिक्री व्यापार/जी.एस.टी. के बकाये में ₹ 405.91 करोड़ (14 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि वाहन कर एवं राज्य उत्पाद के बकाये में क्रमशः पाँच एवं छः प्रतिशत की कमी हुई।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे बकाये राजस्व का तेजी से संग्रहण सुनिश्चित किया जा सके जिससे कि राज्य के राजकोषीय घाटे के भार को कम किया जा सके ।*

1.3.3 पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ

वर्ष 2014–19 के दौरान पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रवृति **तालिका 1.16** में दी गई है।

तालिका 1.16: पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ	15,411	18,402	21,600	13,191	20,493
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	1,493	19	23	22	1,825
लोक ऋण प्राप्तियाँ	13,918	18,383	21,577	13,169	18,668
लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	40	32	17	(-)39	42
पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	55	19	17	(-)39	55

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

पूँजीगत भाग में वृद्धि (₹ 1,803 करोड़) मुख्यतः ऋण एवं अग्रिमों की वसूली 2017–18 के ₹ 22 करोड़ से 2018–19 में ₹ 1,825 करोड़ होने के कारण हुई।

पुनर्भुगतान का मुख्य भाग बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बी0एस0आर0टी0सी0), बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड (बी0एस0पी0एच0सी0एल0) एवं बिहार राज्य सहकारिता बैंक लिमिटेड बी0एस0सी0बी0एल0 द्वारा किया गया जिसमें क्रमशः ₹ 874.81 करोड, ₹ 257.03 करोड़ एवं ₹ 290.00 करोड़ का पुनर्भुगतान किया। यद्यपि ये ऋण सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान जिसके प्रदत्त बजटीय सहयोग यथा सब्सिडी ₹ 874.81 करोड़ एवं ₹ 5,120 करोड़ क्रमशः बी0एस0आर0टी0सी0 एवं बी0एस0पी0एच0सी0एल0 को एवं ₹ 800.00 करोड़ ऋण के रूप में बी0एस0सी0बी0एल0 को देने के उपरान्त पुनर्भुगतान किया गया।

1.3.3.1 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

वर्ष 2014–15 से 2018–19 के दौरान आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियों का विवरण **तालिका 1.17** में दिया गया है।

तालिका 1.17: आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बाजार उधारी	8,100	11,500	17,700	10,000	14,300
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	1,154	1,204	1,588	1,771	1,834
अन्य[7]	3,946	4,861	777	0	0

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य द्वारा निवेश से प्राप्त ब्याज की तुलना में उच्च दर पर उधार के प्रभाव का वर्णन ***कंडिका 1.5.3*** में की गई है।

1.3.3.2 भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

वर्ष 2014–19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से राज्य योजना, केंद्र योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना आदि के लिए प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण ***तालिका 1.18*** में दी गई है।

तालिका 1.18: भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	718	818	1,512	1,398	2,534

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

[7] बॉण्डस, आरबीआई से अर्थोपाय एवं अग्रिम और राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ।

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018–19 में भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिमों में ₹ 1,136 करोड़ की वृद्धि हुई। 2018–19 के दौरान प्राप्त राशि शीर्ष "राज्य के लिए अन्य ऋण" के अंतर्गत था। ऋण का ब्याज दर 6 प्रतिशत से कम तथा 14.99 प्रतिशत के बीच रहा।

1.3.3.3 लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)

कुछ निश्चित लेन–देन जो कि समेकित निधि के भाग नहीं होते है जैसे लघु बचत, भविष्य निधि एवं आरक्षित निधि आदि, की प्राप्तियों एवं संवितरण को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अधीन लोक लेखो में रखा जाता हैं तथा इसके लिए राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान आवश्यक नहीं होता है। यहाँ सरकार एक बैंकर/ट्रस्टी की भूमिका अदा करती है। लोक लेखे के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरणों की स्थिति वित्त लेखे के विवरणी 21 में दर्शाई गई है और लोक लेखे प्राप्तियों (निवल) का विवरण **तालिका 1.19** में दिया गया है।

तालिका 1.19: लोक लेखा प्राप्तियों (निवल) की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	**1,050.64**	**3,183.04**	**4,462.44**	**10,808.32**	**1,124.14**
(अ) लघु बचत, भविष्य निधि आदि	(-) 182.77	(-) 73.58	99.63	(-)80.25	277.79
(ब) आरक्षित निधि	730.13	90.69	(-) 129.15	(-)2.79	783.89
(स) जमा एवं अग्रिम	2,222.58	3,731.69	5,393.40	10,314.32	331.51
(द) उचंत एवं विविध	(-) 1,707.32	(-) 571.81	(-) 894.39	579.80	(-)345.12
(ड़) प्रेषण	(-) 11.98	6.05	(-) 7.05	(-)2.76	76.05

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन–देन के प्रभाव की चर्चा **कंडिका 1.6.2** में की गई है।

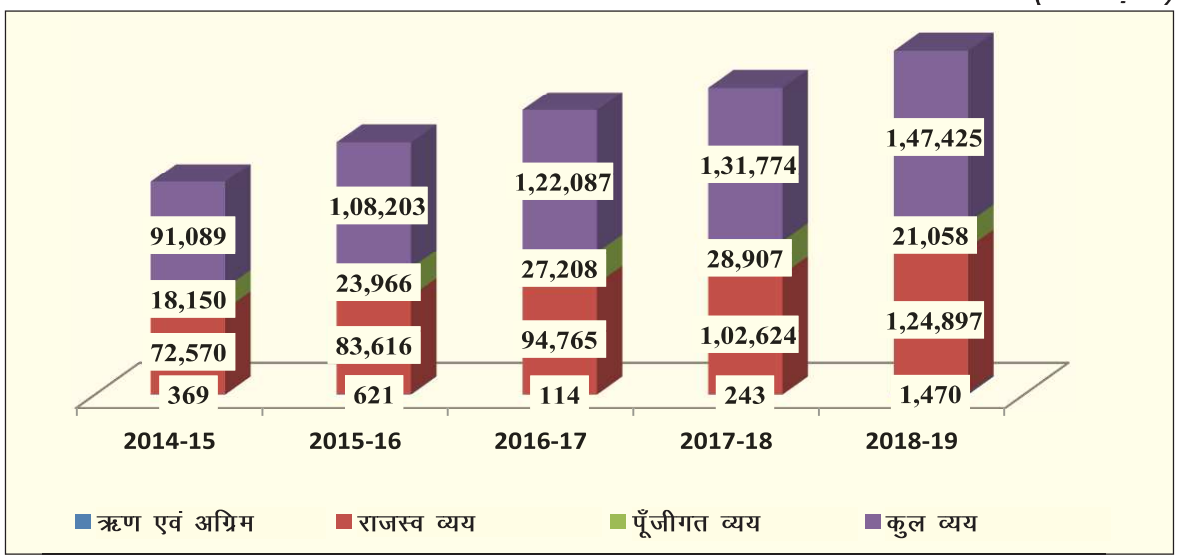
1.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

1.4.1 व्यय के संघटक एवं वृद्धि

वर्ष 2014–19 के दौरान कुल व्यय की प्रवृत्तियों एवं संघटको को **चार्ट 1.7** एवं ***तालिका 1.20*** में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 1.7: कुल व्यय–प्रवृत्ति एवं संघटक

(₹ करोड़ में)



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका: 1.20: कुल व्यय – गतिविधियों द्वारा प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

सेक्टर्स	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सामान्य सेवाएँ	28,157 (30.91)	31,589 (29.19)	32,697 (26.78)	36,139 (27.43)	42,002 (28.49)
सामाजिक सेवाएँ	33,386 (36.65)	38,684 (35.75)	44,329 (36.31)	50,028 (37.97)	62,346 (42.29)
आर्थिक सेवाएँ	29,173 (32.03)	37,305 (34.48)	44,943 (36.81)	45,360 (34.42)	41,603 (28.22)
ऋण और अग्रिम	369 (0.40)	621 (0.57)	114 (0.09)	243 (0.18)	1,470 (1.00)
सहायता अनुदान	4	4	4	4	4
कुल व्यय	**91,089**	**1,08,203**	**1,22,087**	**1,31,774**	**1,47,425**
कोष्ठक में आंकड़े कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाते हैं					

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2014–19 की अवधि के दौरान कुल व्यय के गतिविधि–वार घटकों के बीच मामूली बदलाव देखा गया।

1.4.2 राजस्व व्यय

योजना[8] (योजना) एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध (गैर–योजना) राजस्व व्यय का विवरण **तालिका 1.21** में दिया गया है।

तालिका 1.21: योजना और स्थापना एवं प्रतिबद्ध राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
कुल राजस्व व्यय	**72,570**	**83,616**	**94,765**	**1,02,624**	**1,24,897**
स्थापना एवं प्रतिबद्ध राजस्व व्यय	47,059	53,965	61,189	66,673	77,532
योजना राजस्व व्यय	25,511	29,651	33,576	35,951	47,365
स्थापना एवं प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	8.48	14.68	13.39	8.96	16.29
योजना राजस्व व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	33.59	16.23	13.24	7.07	31.75

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.4.3 प्रतिबद्ध व्यय

कुल प्रतिबद्ध व्यय (₹ 54,391.25 करोड़), राजस्व व्यय का एक प्रमुख घटक है और यह स्थापना एवं प्रतिबद्ध राजस्व व्यय (₹ 77,531.83 करोड़) का 70.15 प्रतिशत है। 2014–19 के दौरान किए गए प्रतिबद्ध व्यय की प्रवृत्ति **तालिका 1.22** को प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.22: प्रतिबद्ध व्यय के घटकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
						बजट अनुमान	वास्तविकी
1	**वेतन एवं मजदूरी जिसमें**	***14,607.44 (18.63)***	***14,923.73 (15.52)***	***15,784.04 (14.95)***	***17,778.74 (15.14)***	***21,272.03***	***19,968.39 (15.15)***
1(अ)	***स्थापना एवं प्रतिबद्ध***	*13,910.31*	*14,307.22*	*15,106.13*	*16,948.39*	*20,232.37*	*18,963.75*
1(ब)	***योजना***	*697.13*	*616.51*	*677.91*	*830.35*	*1,039.66*	*1004.64*

[8] योजना में राज्य योजनाएं, राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता, केंद्र प्रायोजित योजनाएं और केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं शामिल है।

क्रम सं0	प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
						बजट अनुमान	वास्तविकी
2	ब्याज भुगतान	6,128.75 *(7.82)*	7,097.69 (7.38)	8,190.70 (7.76)	9053.78 (7.71)	10,763.49	10,071.14 (7.64)
3	पेंशन पर व्यय	11,344.50 *(14.47)*	11,830.46 *(12.31)*	12,514.52 *(11.85)*	14,293.48 (12.17)	15,872.14	16,027.75 (12.16)
4	सब्सिडी	4,628.36 *(5.90)*	9,010.45 *(9.37)*	8,757.44 *(8.29)*	5023.06 (4.27)	5,455.48	8,323.97 (6.32)
5	कुल प्रतिबद्ध व्यय	**36,709.05 *(46.81)***	**42,862.33 *(44.59)***	**45,246.70 *(42.85)***	**46,149.06 (39.29)**	**53,363.14**	**54,391.25 (41.27)**
कोष्ठक के आँकड़ें राजस्व प्राप्तियों पर वास्तविक व्यय का प्रतिशत दर्शाते हैं।							

(स्रोतः वर्ष 2018–19 के वित्त लेखे एवं बजट अनुमान)

1.4.3.1 नई पेंशन योजना

1 सितंबर 2005 या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना (एन पी एस) के अंतर्गत शामिल किया गया है जो कि अंशदान आधारित पेंशन योजना के रूप में परिभाषित है। इस योजना में, कर्मचारी मूल वेतन और महँगाई भत्ता का 10 प्रतिशत का अंशदान करता है इसके समतुल्य राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है और पूरी राशि को राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन0एस0डी0एल0)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से निर्दिष्ट निधि प्रबंधक को अंतरण कर दिया जाता है। केंद्रीयकृत रिकॉर्ड कीपिंग एवं एकाउंटिंग एजेंसी और पेंशन फंड मैनेजर की नियमित व्यवस्था होने तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के रिकार्ड एवं लेखा का संधारण बिहार सरकार द्वारा किया गया (31 मार्च 2010 तक)। एन0एस0डी0एल0–सी0आर0ए0 द्वारा 1 अप्रैल 2010 से बिहार सरकार के कर्मचारियों के एन0पी0एस0 से संबंधित खाते का प्रबंधन किया जा रहा है।

वर्ष 2018–19 के दौरान, ₹ 1,141.28 करोड़ मुख्य शीर्ष 8342[9] और ₹ 0.02 करोड़ मुख्य शीर्ष 8011[10] के तहत जमा किया गया था। इसमें ₹10.26 करोड़ की देय राशि के मुकाबले एन0एस0डी0एल0/ट्रस्टी बैंक को अहस्तांतरित उपलब्ध शेष पर सरकार द्वारा जमा किए गए ब्याज के रूप में ₹ 6.52 करोड़ शामिल थे। राज्य सरकार ने एन0एस0डी0एल0/ट्रस्टी बैंक को केवल ₹ 1,081.26 करोड़ जमा किए और वर्ष 2018–19 के दौरान एन0पी0एस0 के खाते में एकत्र ₹ 60.04 करोड़ जमा करने में विफल रही। एन0एस0डी0एल0/ट्रस्टी बैंक को 31 मार्च 2019 तक जमा नहीं की गई कुल राशि ₹ 188.32[11] करोड़ (₹ मुख्य शीर्ष 8011 के तहत ₹ 41.11 करोड़ और मुख्य शीर्ष 8342 के तहत ₹ 147.21 करोड़) थी। इस प्रकार, वर्त्तमान देयताओं को आने वाले वर्षों के लिए स्थगित किया गया इसके अलावे राज्य सरकार एन0एस0डी0एल0 को राशि स्थानांतरित न करके ब्याज देयता बना लिया है। साथ–ही–साथ कर्मचारी के निधि का अनुचित उपयोग किया गया। यह अनुमानतः कर्मचारी के निधि का पुनर्भुगतान के प्रतिफल को अनिश्चित एवं सरकार के वित्तीय देयता को परिहार्य करता है एवं अंततः योजना को व्यर्थ प्रतीत कराता है।

अनुशंसाः *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारियों के वेतन से पूरी तरह से कटौती की जाए जो पूरी तरह से सरकार के योगदान से मेल खाए और समय पर पूरी तरह से एन0एस0डी0एल0 को हस्तांतरित कर दिया जाए।*

[9] अन्य जमा

[10] बीमा एवं पेंशन निधि

[11] गत वर्ष के ₹ 128.28 करोड़ सम्मिलित

1.4.3.2 स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

पिछले वर्षों के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य को अनुदान और ऋण के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सहायता की मात्रा **तालिका 1.23** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.23: स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पंचायती राज संस्थान	2,425.69	3,178.20	2,659.04	7,572.94	7,517.61
शहरी स्थानीय निकाय	626.45	1,826.28	3,135.50	1,794.52	2,892.56
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	232.87	72.49	25.92	109.00	193.46
स्वायत्त निकाय	19,066.20	21,343.38	30,348.88	33,868.65	41,160.66
अन्य	8.08	5.86	40.00	13.62	0.00
कुल	**22,359.29**	**26,426.21**	**36,209.34**	**43,358.73**	**51,764.29**
राजस्व व्यय	72,569.98	83,615.94	94,765.18	1,02,623.73	1,24,896.80
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	30.81	31.60	38.21	42.25	41.45

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.4.4 पूँजीगत व्यय

योजना और स्थापना एवं प्रतिबद्ध पूँजीगत व्यय का विवरण **तालिका 1.24** में दिया गया है।

तालिका 1.24: योजना तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
कुल व्यय	**91,089**	**1,08,203**	**1,22,087**	**1,31,774**	**1,47,425**
पूँजीगत व्यय	18,150	23,966	27,208	28,907	21,058
स्थापना एवं प्रतिबद्ध पूँजीगत व्यय	58	36	16	41	59
योजना पूँजीगत व्यय	18,092	23,930	27,192	28,866	20,999
ऋण एवं अग्रिम	369	621	114	243	1,470
पूँजीगत व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	29.63	32.04	13.53	6.24	(-)27.15
स्थापना एवं प्रतिबद्ध पूँजीगत व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-) 40.21	(-) 37.93	(-) 55.56	156.25	43.90
योजना पूँजीगत व्यय का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	30.12	32.27	13.63	6.16	(-)27.25
चालू मूल्य पर जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय (प्रतिशत में)	5.29	6.45	6.44	5.96	3.78

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कुल पूँजीगत व्यय ₹ 21,058 करोड़ में से राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और सहकारी समितियों में ₹ 5,289.70 करोड़ का निवेश किया, जिनमें से बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड की परियोजनाओं में ₹ 5,035.36 करोड़ का निवेश किया गया था। अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सड़कों और पुलों पर ₹ 5,263 करोड़, जलापूर्ति और स्वच्छता पर ₹ 1,485 करोड़, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर ₹ 1,056 करोड़ का व्यय किया था।

पूँजीगत व्यय वर्ष 2017–18 से ₹ 28,907.00 करोड़ से घटकर 2018–19 में ₹ 21,058 करोड़ मुख्यतः ग्रामीण विकास कार्यक्रम में ₹ 5,427.26[12] करोड़ पावर योजना में ₹ 1,895.74[13] करोड़ एवं माध्यमिक शिक्षा में ₹ 462.48 करोड़ की पूँजीगत व्यय में कमी के कारण हो गया।

1.4.5 व्ययों की गुणवत्ता

राज्य सरकार के व्यय की गुणवत्ता के अंतर्गत व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् जनसुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रावधान) एवं व्यय उपयोग की दक्षता शामिल है। मोटे तौर पर सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासात्मक व्यय जबकि सामान्य सेवा पर व्यय गैर–विकासात्मक व्यय माना जाता है।

1.4.5.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

वर्ष 2018–19 के दौरान विकासात्मक व्यय, सामाजिक सेवाओं पर व्यय और पूँजीगत व्यय के संदर्भ में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं का विश्लेषण ***तालिका 1.25*** में किया गया हैं:

तालिका 1.25: वर्ष 2014–15 और 2018–19 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राजकोषीय प्राथमिकता (जी0एस0डी0पी0 का प्रतिशत)	ए.ई./ जी.एस. डी.पी.	डी. ई[#]./ ए.ई.	इ.एस. ई./ए. ई.	एस.एस. ई./ ए.ई.	सी.ई./ ए.ई.	शिक्षा/ ए.ई.	स्वास्थ/ ए.ई.
सामान्य श्रेणी के राज्यो'[14] का औसत 2014–15	15.99	68.51	32.36	36.15	14.02	16.54	4.92
बिहार का औसत 2014–15	26.56	69.07	32.42	36.65	19.93	18.15	3.96
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत 2018–19	16.05	67.04	30.45	36.59	14.28	14.99	5.07
बिहार का औसत 2018–19	26.44	71.49	28.87	42.62	14.28	19.38	4.96

ए.ई.– सकल व्यय, डी.ई.–विकासात्मक व्यय, एस.एस.ई.–सामाजिक क्षेत्र व्यय, ई.एस.ई.– आर्थिक क्षेत्र व्यय, सी.ई.–पूँजीगत व्यय
#डी.ई.: विकासात्मक व्यय में विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय और संवितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल है।

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2018–19 के दौरान, जैसा कि तालिका से स्पष्ट है कुल व्यय से विकासात्मक व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय और शिक्षा सेवाओं के व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था। हालांकि, कुल व्यय में आर्थिक क्षेत्र के व्यय की अंश पांच साल से अधिक की अवधि में 2018–19 में घट गई, जबकि कुल व्यय में स्वास्थ्य का अंश सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था।

1.4.6 व्यय की दक्षता

सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं के संचालन हेतु पूँजीगत और राजस्व व्ययों का विवरण नीचे **तालिका 1.26** में दर्शाया गया है:

12 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ₹ 2,142.74 करोड़, ग्रामीण कॉलोनी सम्पर्क ₹ 729.64 करोड़, मुख्यमंत्री ग्रामीण सम्पर्क पथ योजना ₹ 766.00 करोड़ शामिल है।

13 बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कंपनी लिमिटेड ₹ 1,224.54 करोड़ एवं बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड ₹ 176.97 करोड़ शामिल।

14 सामान्य श्रेणी के राज्य उन 11 राज्यों के अलावा अन्य राज्य हैं जिन्हें विशेष श्रेणी के राज्यों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनके पास कम संसाधन आधार है और वे अपनी विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए संसाधन जुटाने की स्थिति में नहीं हैं।

तालिका 1.26: चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक संरचना	2017-18		2018-19	
	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में एस0 एण्ड डब्लू[15] का अंश	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में एस0 एण्ड डब्लू का अंश
सामाजिक सेवाओं के प्रमुख घटक (एसएस)				
सामान्य शिक्षा	4.99	22.00	1.56	18.58
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9.14	46.86	15.66	49.12
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	25.40	4.55	10.98	1.92
कुल (सामाजिक सेवाएँ)	**9.74**	**22.00**	**6.58**	**17.65**
आर्थिक सेवाओं के प्रमुख घटक (ईएस)				
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	5.18	16.27	2.80	20.74
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	67.20	51.20	60.08	50.84
विद्युत एवं ऊर्जा	61.69	0.00	42.11	0.00
परिवहन	79.40	19.05	65.36	10.18
कुल (आर्थिक सेवाएँ)	**58.83**	**14.32**	**45.86**	**11.76**
कुल (सामाजिक सेवाएँ+ आर्थिक सेवाएँ)	**29.59**	**20.18**	**20.39**	**16.24**

(स्रोत:संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.5 सरकारी व्यय एवं निवेश

1.5.1 सिंचाई कार्यों का वित्तीय परिणाम

तेरहवें और चौदहवें वित्त आयोग ने सिंचाई परियोजनाओं (राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय से) के वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आकलन के लिए इन परियोजनाओं से वसूली की दर निर्धारित की थी। वर्ष 2014–19 की अवधि के दौरान राज्य की सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति **तालिका 1.27** में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.27: सिंचाई परियोजनाओं से लागत वसूली की स्थिति

वर्ष	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्तियाँ	लागत वसूली का आकलन 13वें वित्त आयोग (2010–15)/14वें वित्त आयोग (2015–20)	राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय	लागत वसूली में अंतर
	(₹करोड़ में)		(प्रतिशत में)		
2014-15	680.96	21.34	75	3	72
2015-16	846.14	31.11	35	4	31
2016-17	680.98	28.23	35	4	31
2017-18	792.06	44.70	35	6	29
2018-19	930.08	64.17	35	7	28

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं 13वें और 14वें वित्त आयोग का प्रतिवेदन)

वर्ष 2017–18 के संबंध में लागत वसूली (28 प्रतिशत) का अंतर कम हुआ है।

1.5.2 अपूर्ण परियोजनाएँ

अपूर्ण परियोजनाओं पर निधि अवरूद्ध होने से व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ता है। वित्त लेखे में शामिल अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण सारांशीकृत रूप में **तालिका 1.28** में दी गई है:

[15] वेतन एवं मजदूरी

तालिका 1.28: 31 मार्च 2019 को अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	मार्च 2019 तक प्रगतिशील व्यय
जल संसाधन	6	98.56	27.38
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	16	197.24	87.16
पथ निर्माण	21	309.65	121.62
भवन निर्माण	13	164.70	66.16
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	5	8.63	5.33
ग्रामीण कार्य	7	12.21	7.46
कुल	**68**	**790.99**	**315.11**

(स्रोत: वर्ष 2018–19 का वित्त लेखे)

उपरोक्त 68 परियोजनाएं 2011–12 से 2018–19 की अवधि के दौरान पूर्ण होने वाली थीं। वित्त लेखे खंड II के परिशिष्ट IX में विवरण प्रस्तुत किया गया है। चूंकि ₹ 790.99 करोड़ की अनुमानित लागत वाली सभी 68 परियोजनाओं का विवरण विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए उनकी संशोधित लागत वित्त लेखे में प्रदर्शित नहीं की गई जिस कारण यह अज्ञात रहा।

अनुशंसा: *वित्त विभाग और संबंधित विभागों को एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे कि परियोजनाओं को ससमय पूरा किया जा सके। सभी अपूर्ण परियोजनाओं के संशोधित अनुमानों को तैयार किया जाना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर अनुमोदित किया जाना चाहिए ताकि इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक धन का वास्तविक मूल्यांकन हो सके।*

1.5.3 निवेश पर प्रतिलाभ

वर्ष 2014–19 के दौरान निवेश[16] पर प्रतिलाभ की स्थिति ***तालिका 1.29*** में दिया गया है।

तालिका 1.29: निवेश पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधार की लागत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	7,068.79	9,940.24	15,916.47	23,037.29	28,327.00
लाभांश/ब्याज प्राप्ति (₹ करोड़ में)	2.58	14.84	3.73	1.34	11.34
लाभांश/ब्याज प्राप्ति (प्रतिशत)	0.04	0.15	0.02	0.01	0.04
सरकारी उधारी पर ब्याज[17] की औसत दर (प्रतिशत)	6.59	6.58	6.42	6.13	6.18
बाजार उधारी पर ब्याज दर एवं निवेश पर प्रतिलाभ दर में अंतर (प्रतिशत)	6.15	5.94	5.88	5.82	6.14
बाजार उधारी पर ब्याज दर एवं निवेश पर प्रतिलाभ दर में अंतर के कारण काल्पनिक हानि (₹ करोड़ में)	434.73	590.45	935.89	1,340.77	1,739.28

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सरकार की उधारी लागत तथा निवेश पर प्रतिलाभ के बीच अंतर के कारण वर्ष 2018–19 में, राज्य सरकार को विभिन्न इकाईयों में निवेश पर ₹ 1,739.28 करोड़ की काल्पनिक हानि हुई।

[16] स्वायत्त निकायों, सरकारी कंपनियों, सहकारी समितियों एवं बैंकों में।

[17] औसत ब्याज दर = ब्याज भुगतान *100/(पिछले वर्ष का राजकोषीय उत्तरदायित्व + चालू वर्ष का राजकोषीय उत्तदायित्व/2)।

यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि निवेश पर खराब प्रतिलाभ के बावजूद वित्त विभाग ने नियमित रूप से इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को इक्विटी, ऋण, सहायता अनुदान, सब्सिडी के माध्यम से बजटीय समर्थन प्रदान किया है, तथा ऐसी कंपनियों को भी बजटीय समर्थन दिया गया जिन्होने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने लेखों को पूर्ण नहीं किया था। यह देखा गया कि राज्य सरकार ने 2018–19 के दौरान 12 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारी संस्थानों को इक्विटी के रूप म ₹ 5,289.70 करोड़ का बजटीय सहायता प्रदान किया था जिसका विवरणी **तालिका 1.30** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.30: वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य सरकार के निवेश

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	संस्था का नाम	वर्ष के दौरान निवेश की गई राशि	टिप्पणियां
1.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	5.00	2017-18 तक खातों को अंतिम रूप दिया गया।
2.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	13.84	2000-01 तक खातों को अंतिम रूप दिया गया।
3.	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	9.90	2014-15 तक खातों को अंतिम रूप दिया गया।
4.	बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	50.00	2014-15 तक खातों को अंतिम रूप दिया गया।
5.	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड	9.50	उपलब्ध नहीं है।
6.	बिहार राज्य साख और विनिवेश निगम लिमिटेड	5.00	2014-15 तक खातों को अंतिम रूप दिया गया।
7	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड	5,035.36	2017-18 तक खातों को अंतिम रूप दिया गया।
8	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	5.00	2008-09 तक खातों को अंतिम रूप दिया गया।
9	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	108.00	2012-13 तक खातों को अंतिम रूप दिया गया।
10	अन्य सहकारी	5.10	उपलब्ध नहीं है।
11	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर	40.00	उपलब्ध नहीं है।
12	पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3.00	उपलब्ध नहीं है।
योग		**5,289.70**	

(स्रोतः वर्ष 2018–19 का वित्त लेखे)

वित्त लेखें के अनुसार, केवल तीन कंपनियों ने वर्ष के दौरान लाभांश का योगदान दिया है, अर्थात्, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 1.05 करोड़), बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड (₹ 10.00 करोड़) और क्रेडिट को–ऑपरेटिव (₹ 0.29 करोड़)।

अनुशंसाः *वित्त विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभागों को संस्थाओं में निवेश की समीक्षा करनी चाहिए एवं यह सुनिश्चित करना है कि जिस संस्थाओं के खाते बकाया हो, उनमें कोई निवेश न किया जाय।*

1.5.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी संस्थाओं, निगमों तथा कंपनियों में निवेश करने के अतिरिक्त राज्य सरकार इनमें से कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही है। यह विस्तृत रूप से **तालिका 1.31** में दिया हुआ है।

तालिका 1.31: लंबित ऋण एवं अग्रिम तथा बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
ऋण एवं अग्रिम का आरंभिक शेष	21,379.35	20,255.00	20,857.73	20,948.29	21,169.17
वर्ष के दौरान अग्रिम की राशि	368.71	621.23	113.87	242.78	1,470.56
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की राशि	1,493.06	18.50	23.31	21.89	1,825.40
ऋण एवं अग्रिम का अंत शेष	**20,255.00**	**20,857.73**	**20,948.29**	**21,169.18**	**20,814.33**
बकाया ब्याज	3,017.55	5,478.14	6,652.60	7,823.47	9,038.12
बकाया ऋण तथा अग्रिम के सापेक्ष बकाया ब्याज की प्रतिशत	14.90	26.26	31.76	36.96	43.42

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

(i) इन ऋणों एवं अग्रिमों पर बकाया ब्याज वर्ष के दौरान बढ़ कर 31 मार्च 2019 को ₹ 9,038.12 करोड़ हो गया।

वर्ष 2018–19 में बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को ₹ 800 करोड़ की राशि कृषि साख स्थिरीकरण निधि के लिए दिया गया फिर इसी निधि से ₹ 290 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। इसके अलावा, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने भी ₹ 874.81 करोड़ की राशि का वर्ष 2018–19 के दौरान पुनर्भुगतान किया।

सरकार द्वारा दी गई ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण वित्त लेखे के भाग 1 में तथा इकाईयों, का विवरण जिनके ऋणों का पुनर्भुगतान बाकी है भाग 2 के विवरणी 18 में दर्शाया गया है।

(ii) जैसा कि **तालिका 1.32** में दर्शाया गया है, पिछले अनेक वर्षों से विभिन्न इकाईयों द्वारा बकाया ऋणों एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान या ब्याज प्राप्ति नहीं हुई।

तालिका 1.32: ऋणी संस्थाओं जिनके पुनर्भुगतान बकाया हैं का सारांश

(₹ करोड़ में)

ऋणी संस्था	31 मार्च 2019 को बकाया राशि*			शीघ्रतम अवधि जिससे बकाया संबंधित है	31 मार्च 2019 को संस्था की तुलना में कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	योग		
नगरपालिका/नगर परिषद्/नगर निगम	19.54	63.40	82.94	2001-02	386.85
हाउसिंग बोर्ड्स	4.75	6.40	11.15	2001-02	127.47
सरकारी कंपनियाँ	3,273.63	3,273.51	6,547.14	2001-02	5,729.80
सहकारी समितियाँ/ सहकारी निगमें/ बैंक	735.57	632.37	1,367.94	2001-02	1,301.49
पंचायती राज संस्थायें	17.47	23.54	41.01	2001-02	57.63
सांविधिक निगम	3,587.35	4,485.87	8,073.22	2001-02	12,502.01
अन्य	216.90	553.03	769.93	2001-02	615.00
योग	**7,855.21**	**9,038.12**	**16,893.33**		**20,720.25**

**वर्ष 2000–01 तक बकाया राशि ₹ 3,446.27 करोड़ (मूलधन ₹ 1,522.50 करोड़ तथा ब्याज 1,923.77 करोड़) विवरणी उपलब्ध नहीं रहने के कारण इसमें शामिल नहीं किया गया है।*

(स्रोत: वर्ष 2018–19 का वित्त लेखे)

अनुशंसा: *वित्त विभाग एवं संबधित प्रशासनिक विभागों को उन इकाईयों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम के पुनर्गठन की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए जिन्होंने पिछले अनेक वर्षों से मूलधन का पुनर्भुगतान अथवा ब्याज अदायगी नहीं की है।*

1.5.5 रोकड़ शेष में अंतर

31 मार्च 2019 को महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा संगणित राज्य का रोकड़ शेष ₹ 157.12 करोड़ (नामे) जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के पास रोकड़ शेष ₹ 109.73 करोड़ (जमा) थी। ₹ 47.39 करोड़ (नामे) का अंतर मुख्यतः लेन–देन की गलत जानकारी देने तथा एजेंसी बैंकों द्वारा असमाशोधन था। महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा बताया गया की अंतर समाशोधन के अधीन है।

1.5.6 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

वर्ष 2018–19 के दौरान रोकड़ शेषों एवं रोकड़ शेषों के निवेशों का विवरण नीचे **तालिका 1.33** में दिया हुआ है:

तालिका 1.33: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	31मार्च 2019 को अंतिम शेष
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
रिजर्व बैंक के पास जमा	46.90	157.12
रोकड़ शेष निवेश लेखा में हुए निवेश	17,395.63	14,791.80
कुल (अ)	**17,442.53**	**14,948.92**
(ब) अन्य रोकड़ शेष एवं निवेश		
विभागीय अधिकारियों यथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों तथा वन विभाग के अधिकारियों के पास रोकड़	185.73	234.65
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	341.97	758.52
उद्धिष्ट निधियों का निवेश	4,111.33	4,895.22
कुल (ब)	**4,639.03**	**5,888.39**
कुल (अ+ब)	**22,081.56**	**20,837.31**

(स्रोतः वर्ष 2018–19 के वित्त लेखे)

पिछले पाँच वर्षों के रोकड़ पूँजी के अंतशेष की स्थिति यह दर्शाता है कि मार्च 2015 के रोकड़ अंत शेष ₹ 6,337 से बढ़कर मार्च 2019 में ₹ 20,837 करोड हो गया है। वर्ष 2018–19 में, रोकड़ ₹ 1,244.25 करोड़ से घटकर आरंभिक रोकड़ शेष ₹ 22,081.56 करोड़ से ₹ 20,837.31 करोड़ हो गया। रोकड़ शेष निवेश ₹ 17,395.63 करोड़ से घटकर (₹ 2,603.83 करोड़) ₹ 14,791.80 करोड़ हो गया जो कि आंतरिक उधारी (₹ 1,14,360 करोड़) का 12.93 प्रतिशत है। अधिकांश रोकड़ शेष को प्रतिभूतियों में निवेश किया गया। रोकड़ शेष का निवेश (मार्च 2015) ₹ 3,439.74 करोड़ से बढ़कर (मार्च 2019) ₹ 14,948.22 करोड़ हो गया जबकि उसी समय राज्य सरकार को वर्ष 2018–19 में राजकोषीय घाटा की पूर्ति करने के लिए ₹ 14,300 करोड़ का बाजार ऋण लेना पड़ा। अगर राज्य सरकार रोकड़ शेष निवेश खाते से रोकड़ अधिशेष को कम कर पाती तो बाजार ऋण की मात्रा को भी कम करने की संभावना रहती।

1.6 परिसंपत्ति एवं देयताएँ

1.6.1 परिसंपत्तियाँ एवं देयताओं में वृद्धि तथा इसके संघटक

सरकार की वर्तमान लेखा प्रणाली में अचल सम्पत्तियों जैसे सरकारी भूमि और भवन का विस्तृत लेखांकन नहीं होता है तथापि, ये वित्तीय देयताएँ के लेखांकन के व्यय द्वारा सृजित परिसंपत्तियों द्वारा प्राप्त किये जा सकते है। ***परिशिष्ट 1.6,*** 31 मार्च 2018 के संगत स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2019 तक की इस प्रकार की देयताएँ

तथा परिसंपत्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। देयताओं में मुख्य रूप से आंतरिक उधारी, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखे एवं आरक्षित निधि से प्राप्तियाँ शामिल है जबकि परिसंपत्तियाँ में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय एवं राज्य सरकार द्वारा दी गयी ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष शामिल है।

2017-18 की अपेक्षा 2018-19 में परिसंपत्ति एवं देयताएँ में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। देनदारियों में वृद्धि मुख्य रूप से ब्याज सहित बाजार उधारी, भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिमों तथा अचल संपत्तियों पर पूंजीगत परिव्यय के कारण हुई।

1.6.2 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन–देन

वित्त लेखे के अनुसार, राज्य सरकार के पास छः आरक्षित निधियाँ[18] हैं जैसा कि **तालिका 1.34** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.34: आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन–देन का विवरण

(₹ लाख में)

क्रम सं0	लेखे शीर्ष	01अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	2018–19 में प्राप्तियाँ	2018–19 में संवितरण	31 मार्च 2019 को अंतिम शेष
	(अ) ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ				
1	8115– मूल्यह्रास / नवीनीकरण आरक्षित निधि (सरकारी वाणिज्यिक विभाग और उपक्रम)	0.14	0.01	0.00	0.15
2	8121–सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ (एस0डी0आर0एफ0)	0.06	1,43,065.50	1,43,064.77	0.79
	(ब) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ				
1	8222–निक्षेप निधि	0.00	78,388.39	78,388.39	0.00[19]
कुल		**0.20**	**2,21,453.90**	**2,21,453.16**	**0.94**

(स्रोतः वर्ष 2018–2019 के वित्त लेखे)

पिछले 18 से 19 वर्षों से तीन आरक्षित निधियों यथा, अकाल राहत निधि (₹ 24.37 लाख), विकास एवं कल्याण निधि (₹ 0.54 लाख) तथा सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि (₹ 2,606.95 लाख) में कोई लेन–देन नहीं हुआ है।

अनुशंसा: *वित्त विभाग तथा संबधित प्रशासनिक विभागों को वैसे सभी आरक्षित निधियों को बंद कर देना चाहिए जिनमें पिछले कई वर्षों से कोई लेन–देन नहीं हुआ है।*

दो मुख्य आरक्षित निधियों से संबंधित प्राप्तियाँ तथा संवितरण का वर्णन नीचे किया गया है:–

1.6.2.1 निक्षेप निधि

बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गई थी कि राज्यों को सभी ऋणों से साथ–साथ बैंकों से लिए गए ऋण और राष्ट्रीय लघु बचत निधि पर देयताओं इत्यादि के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि का स्थापना करनी चाहिए तथा इन निधियों का उपयोग ऋणों के विमोचन के अलावे अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक, जो निधि का प्रबंधन के लिए जिम्मेवार है, वर्ष के प्रारंभ में बकाया देयताओं के न्यूनतम 0.5 प्रतिशत का अंशदान निर्धारित करने का दिशा–निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने 2008–09 में एक समेकित निक्षेप निधि की स्थापना की, हालांकि, 2014–15 से, इसका उपयोग सरकार की बकाया देनदारियों के मोचन के लिए किया

[18] राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, निक्षेप निधि, अकाल राहत निधि, विकास एवं कल्याण निधि, सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि एवं मूल्यह्रास/नवीनीकरण आरक्षित निधियाँ।

[19] फंड में शेष राशि निवेश की जाती है जैसा कि वित्त खातों के विवरण 22 में दिखाया गया है। 31 मार्च 2019 तक निक्षेप निवेश खाते का समापन शेष ₹ 4,895.12 करोड़ था।

जाना था। हालांकि, इसकी स्थापना के बाद से इसका उपयोग नहीं किया गया है। 31 मार्च 2019 को निधि का अंत शेष ₹ 4,895.12 करोड़ था।

1.6.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन वर्ष 2010–11 में प्रारंभ किया। योजना में यह भी वर्णन है कि निधि में अभिवृद्धि के साथ–साथ निधि के निवेश पर अर्जित आय का निवेश केन्द्र सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम कोषागार विपत्रों, ब्याज अर्जक जमाओं एवं जमा प्रमाण पत्रों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको के साथ निक्षेपों का प्रमाण पत्र तथा सहकारी बैंकों के साथ ब्याज अर्जक निवेशों में किया जाना चाहिए।

1 अप्रैल 2018 को निधि का आरंभिक शेष केवल ₹6,000.00 था। वर्ष के दौरान ₹ 1430.66 करोड़ की राशि (केंद्रः ₹ 1,362.79 करोड़ और राज्यः ₹ 67.87 करोड) प्राप्त की गयी तथा प्राकृतिक आपदाओं पर ₹ 1,430.65 करोड़ व्यय किया गया जिससे 31 मार्च 2019 को अंतिम शेष ₹ 78,850.00 रह गया।

1.6.3. प्रत्याभूतियाँ

प्रत्याभूति मोचन निधि

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना नहीं की गयी और न ही प्रत्याभूति की सीमा के लिए कोई नियम बनाया गया। राज्य सरकार इसके अनुशंसाओं के अनुसार ₹ 26.73 करोड़ (वर्ष 2018–19 के प्रारंभ में ₹ 5,346.42 करोड़ के बकाया प्रत्याभूति का 0.5 प्रतिशत) के न्यूनतम वार्षिक अंशदान करने में विफल रही।

वित्त लेखे के विवरणी 9 के अनुसार पिछले पाँच वर्षों के प्रत्याभूति की स्थिति **तालिका 1.35** में दिया हुआ है।

तालिका 1.35: सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
अधिकतम प्रत्याभूत राशि	5,314.84	9,396.62	13,053.04	20,234.10	20,834.10
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	78,417	96,123	1,05,585	1,17,446.74	1,31,793.45
वर्ष के अंत में प्रत्याभूति की बकाया राशि (मूलधन)	2,000.90	4,720.78	4,459.58	5,174.49	5,397.88
कुल राजस्व प्राप्ति से अधिकतम प्रत्याभूति राशि की प्रतिशतता	6.78	9.78	12.36	17.23	15.81

(स्रोतःसंबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

अधिकतम प्रत्याभूत राशि में से ऊर्जा (₹12,166.91 करोड़), सहकारिता (₹ 1,268.84 करोड़), सिंचाई (₹ 4.93 करोड़), पथ एवं परिवहन (₹ 2,000.00 करोड़), राज्य वित्तीय निगम (₹183.57 करोड़), शहरी विकास एवं आवास (₹ 90.00 करोड़), अन्य अवसंरचना (₹ 33.76 करोड़) तथा अन्य (₹ 5,086.09 करोड़) संबंधित था।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को सक्षम करने के लिए, राज्य सरकार भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन गारंटी देती है जिसके लिए गारंटी शुल्क लिया जाता है। 5 जुलाई, 1974 को पारित बिहार सरकार के संकल्प संख्या 7498 के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से ₹ 10 लाख से अधिक की गारंटी राशि पर प्रति वर्ष 1/8 प्रतिशत की दर से गारंटी शुल्क लिया जाना था। जबकि गारंटी शुल्क की वसूली के लिए गारंटी विलेख में कोई खंड नहीं था। बिहार सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से गारंटी शुल्क का दावा भी नहीं किया। हालांकि, ₹ 2.64 करोड़ की गारंटी शुल्क केवल एक कंपनी (बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम) से 2018–19 में प्राप्त की गई थी।

1.7 ऋण प्रबंधन

1.7.1 राज्य सरकार के राजकोषीय देयताएँ के संघठक

वर्ष 2014–15 से 2018–19 के दौरान, राज्य सरकार के राजकोषीय देयाताएँ के संघठक का विवरण **तालिका 1.36** में विस्तृत है: –

तालिका 1.36: राज्य सरकार के राजकोषीय देयताएँ के संघठक

उधारी की प्रवृत्ति	शेष (₹ करोड़ में)				
	31 मार्च 2015	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019
(अ) लोक ऋण					
राज्य सरकार के आंतरिक ऋण[20]	65848	79990	96595	104525	114360
भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों	8723	8839	9596	10182	11785
कुल (अ)	**74571**	**88829**	**106191**	**114707**	**126145**
(ब) अन्य लोक लेखा देयताएँ					
लघु बचत, भविष्य निधि	8865	8791	8891	8811	9089
आरक्षित निधि	1836	1435	723	26	26
जमा	13784	17523	22917	33233	33661
कुल (ब)	**24485**	**27749**	**32531**	**42070**	**42776**
राज्य सरकार का कुल ऋण[21]	**99056**	**116578**	**138722**	**156777**	**168921**

(स्रोत:संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2014–15 से 2018–19 के दौरान, राज्य सरकार का कुल ऋण (1 अप्रैल 2014) ₹ 86,939 करोड़ से बढ़कर (31 मार्च 2019) ₹ 1,68,921 करोड़ हो गया। लोक ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा **तालिका 1.37** में दिया हुआ है।

तालिका 1.37: सार्वजनिक ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता वर्ष	आंतरिक ऋण	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	कुल	*प्रतिशत*
2019-20	6162	717	6879	5.45
2020-21	5945	752	6697	5.31
2021-22	7552	793	8345	6.62
2022-23	10499	863	11362	9.01
2023-24	9658	804	10462	8.29
2024-25	10939	740	11679	9.26
2025-26	13518	683	14201	11.26
2026-27	18977	586	19563	15.51
2027-28	11211	430	11641	9.23
2028-29	15433	429	15862	12.57
2029-30 से आगे	4445	4931	9376	7.43
राज्य सरकार के साथ समाशोधन	21	57	78	0.06
कुल	**114360**	**11785**	**126145**	**100**

(स्रोत: वित्त लेखे 2018–19)

[20] आंतरिक ऋण में बाजार ऋण और वित्तीयों संस्थाओं जैसे– भारतीय जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एवं अन्य संस्थाओं से लिए गए ऋण शामिल है।

[21] तालिका 1.38 में, वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 के दौरान ऋण जिसमें उज्जवल डिस्कॉम योजना (उदय) के कारण ली गई उधारी शामिल है को वित्त लेखे के आँकड़ों के साथ मिलान करने हेतु ऋण उदय को ₹ 1,15,024 करोड़ (2015–16) तथा ₹ 1,36,390 करोड़ (2016–17) जो की ऋण निर्वाहता एवं अन्य राजकोषीय मामलों को पूरा करने के लिए 2015–16 तथा 2016–17 में ली गई।

लोक ऋण के परिपक्वता के रूप रेखा से जाहिर होता है कि वर्ष 2023–24 से संभवतः ऋण पुनर्भुगतान का दवाब बढ़ेगा और वर्ष 2026–27 में बिहार सरकार के ऋण परिपक्वता के कारण चरम पर होगा।

1.7.2 उधार निधि की निवल उपलब्धता

वर्ष 2014–19 के दौरान, लोक ऋण और लोक लेखो देयताएँ में प्राप्तियाँ एवं पुर्नभुगतान के कारण उधार ली गई निधि की निवल उपलब्धता का विवरण **तालिका 1.38** में दिया गया है:–

तालिका 1.38: लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों के अंतर्गत निधि की निवल उपलब्धता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों के अंतर्गत प्राप्तियाँ	41,188	56,030	72,845	59,412	73,806
लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों के अंतर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन एवं ब्याज)	35,200	45,606	58,892	50,411	71,733
निवल निधि उपलब्धता	5,988	10,424	13,953	9,001	2,073
लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियाँ एवं निधि की निवल उपलब्धता की प्रतिशतता	14.54	18.60	19.15	15.15	2.81

(स्रोतःसंबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.38 से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2018–19 के दौरान उधार निधि का 97.19 प्रतिशत भाग वर्त्तमान देयताओं के भुगतान में उपयोग किया गया जिससे यह राज्य के विकासशील कार्यों/पूंजीगत निर्माण में उपयोग नहीं हो पाया।

1.7.3 ऋण निर्वाहता

अगर सरकार निकट भविष्य के देखते हुए अपनी देयताओं के चुकाने में समर्थ हो और उनका ऋण जी0एस0डी0पी0 अनुपात अनियंत्रित आनुपातिक रूप से नहीं बढ़ रहा हो, तो उनका राजकोषीय दायित्व निर्वहणीय माना जाता है। डोमार प्रारूप लोक ऋण के विश्लेषण के प्रारूप में से एक है, जो यह बताता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ऋण की दर से अधिक है तो ऋण–जी0एस0डी0पी0 अनुपात स्थिर होगा **तालिका 1.39**, डोमार प्रारूप की निर्वहणीय की स्थिति को दर्शाता है:–

तालिका 1.39: डोमार प्रारूप के अंतर्गत ऋण निर्वाहता की मापदंड

जी–आर (जीः वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर; आरः वास्तविक ब्याज दर) डोमार गैप कहा गया।	एस<0 (प्राथमिक घाटा)	एस>0 (प्राथमिक अधिशेष)
जी–आर >0 (तीव्र आर्थिक वृद्धि)	लोक ऋण, जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशतता के रूप में एक स्थिर मूल्य की ओर जाता है, फलतः यह निर्वहणीय होता है। ऋण के स्टॉक के निर्भरता के अनुसार, शून्य से अधिक एक स्थिर स्थिति पर पहुँचने के लिए यह समय के अनुसार यह या तो बढ़ेगा या घटेगा।	लोक ऋण जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशतता के रूप में लोक बचत के लिए शून्य से कम एक स्थिर स्तर में परिवर्तित होना चाहिए।
जी–आर <0 (शिथिल आर्थिक वृद्धि)	लोक ऋण, जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशतता के रूप में बिना स्थिर स्थिति में परिवर्तित हुए अनिश्चित काल के लिए बढ़ेगा।	अपरिभाषित स्थिति

डोमार प्रारूप को बिहार राज्य पर लागू करने पर यह दर्शित हुआ कि राजकोषीय देयताओं को स्थिर स्थिति में परिवर्तित होना चाहिए जो कि **तालिका 1.40** में दर्शाया गया है:–

तालिका 1.40: वर्ष 2014–19 के दौरान राज्य के ऋणों की निर्वहता

वर्ष	वास्तविक आर्थिक वृद्धि (जी)	वास्तविक ब्याज दर (आर)	डोमार गैप (जी आर)	प्राथमिक घाटा (-) अधिशेष (+)
	(प्रतिशत में)			(₹ करोड़ में)
2014-15	3.65	(-) 0.29	3.94	(-) 5,050
2015-16	6.08	2.13	3.95	(-) 4,963
2016-17	8.94	2.50	6.44	(-) 8,288
2017-18	10.45	3.45	7.00	(-) 5,251
2018-19	10.53	2.28	8.25	(-) 3,736

- वास्तविक जी0एस0डी0पी0 के लिए वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर की गणना किया गया यथा स्थिर मूल्यों के अनुसार।
- वास्तविक ब्याज दर की गणना राजकोषीय दायित्व (–) पर औसत ब्याज दर में से मुद्रास्फीति को घटा कर की गई। बिहार के लिए औसत मुद्रास्फीति की गणना एम0ओ0एस0पी0आई0 के चालू श्रृंखला के मासिक मुद्रास्फीति दर के संदर्भ में की गई है।

बिहार, 2014–19 की अवधि में प्राथमिक घाटा वाला राज्य रहा है। वर्ष 2014–15 से 2018–19 के पूरे अवधि में डोमार गैप (जी0–आर0) धनात्मक रहा। ऋण निर्वहता के नजरिये से डोमार प्रारूप के अंतर्गत की स्थिति जो **तालिका 1.39** में दी गई है। राज्य सरकार के राजकोषीय देयताएँ ऋण निर्वहता (जी–आर>0) को संतुष्ट करती है यह ध्यान देने योग्य है कि डोमार अंतर (जी–आर) में बढ़त की प्रवृत्ति दर्ज किया जा रहा है। हालाँकि, अन्य कारकों जैसे लोक लेखा दायित्व, बड़ी घटनाएँ पर बल[22] और/या अन्य दूसरे अनिर्धारित राजस्व की क्षति को भी ऋण निर्वहता/राज्य के स्थायित्व[23] के मूल्यांकन में गणना की गई है।

राजकोषीय घाटा एवं ऋण निर्वहता

ऊपर के परिप्रेक्ष्य में राजकोषीय स्थायित्व, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा ऋण –जी0डी0पी0 के अनुपात के संदर्भ में तथा इसके अलावे राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान के संदर्भ में भी परिभाषित की गई है। चौदहवें वित्त आयोग के अनुशंसा जो की केन्द्र एवं राज्य सरकार के राजकोषीय संतुलन के लिए थी और यह जी0एस0डी0पी0 से राजकोषीय घाटा एवं ऋण का सीमा उपलब्ध करवाता है। चौदहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में, बिहार सरकार ने एफ0आर0बी0एम0, अधिनियम 2006, को (अगस्त 2016) में संशोधित किया। बिहार एफ0आर0बी0एम0 (संशोधित) अधिनियम, 2016 के अनुसार वर्ष 2016–17 से 2019–20 के प्रत्येक वर्ष में राजकोषीय घाटा जी0एस0डी0पी0 के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

चौदहवें वित्त आयोग के लक्ष्य और बी0एफ0आर0बी0एम0 के लक्ष्य के अनुसार ऋण की स्थिति **तालिका 1.41** में दी गई है।

तालिका 1.41: ऋण निर्वहता–बी0एफ0आर0बी0एम0 सूचकांक आधारित विश्लेषण

वर्ष	जी0एस0डी0पी0 से राजकोषीय घाटा (प्रतिशत में)		जी0एस0डी0पी0 से ऋण (प्रतिशत में)		राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान (प्रतिशत में)	
	बी0एफ0आर0बी0एम0 लक्ष्य	प्राप्ति	एफ0एफ0सी0 लक्ष्य	प्राप्ति	एफ0एफ0सी0 लक्ष्य	प्राप्ति
2015-16	3.00	2.92	25.02	28.19	6.50	7.38
2016-17	3.00	3.19	24.79	31.14	6.40	7.75
2017-18	3.00	2.93	24.84	32.15	6.23	7.70
2018-19	3.00	2.48	24.89	30.30	6.13	7.64

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं संशोधित बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम 2016)

[22] जैसे वर्तमान के कोरोना वायरस महामारी और इसका जी0एस0डी0पी0 पर प्रभाव।

[23] जैसे कि ये सांख्यिकीय रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए विश्लेषण के कारकों में शामिल नहीं है।

पिछले लगातार दो वर्षों 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान राज्य सरकार राजकोषीय घाटे को बी0एफ0आर0बी0एम0 के लक्ष्य के अंदर रखने में सफल रहा। जबकि, राजस्व प्राप्तियों (ब्याज भुगतान का भार) से ब्याज भुगतान का अनुपात हासिल नहीं हो सका। फिर भी, यह 7.75 प्रतिशत (2016–17) से घटकर 7.64 प्रतिशत हो गया। ऋण जी0एस0डी0पी0 का अनुपात भी 14वें वित्त आयोग के लक्ष्य के अंदर नहीं था; इसके अलावे, यह 2015–2019 की अवधि में 28.19 प्रतिशत से बढ़कर 32.15 प्रतिषत हो गया। इस प्रकार, राजकोषीय घाटे का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात हासिल करते हुए भी, जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष ब्याज भुगतान एवं राजकोषीय दायित्वों की चाल 14 वें वित्त आयोग और बी0एफ0आर0बी0एम0 के द्वारा वर्ष 2019–20 से राजकोषीय समेकन की प्राप्ति के लिए बताए गए संभावित रास्ते पर नहीं लग रहे हैं।

1.7.4 उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

उदय, नवंबर 2015, भारत सरकार द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों के लिए एक पुनरूथान पैकेज है तथा यह विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय तथा परिचालन रूप से सक्षम बनाता है ताकि वे सस्ती दरों पर पर्याप्त विद्युत आपूर्ति कर सकें।

इस योजना के तहत, 30 सितम्बर 2015 को विद्युत वितरण कंपनियों के ऋण (₹ 3109.05 करोड़) में से 75 प्रतिशत (वित्तीय वर्ष 2015–16 में 50 प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में 25 प्रतिशत) का अधिग्रहण राज्य द्वारा गैर सांविधिक तरलता अनुपात बॉण्ड जारी कर किया गया तथा इसको अनुदान ऋण तथा इक्विटी के रूप में विद्युत कम्पनियों को हस्तातंरण किया जाना था। पैकेज के अन्तर्गत राज्य सरकार का दायित्व ₹ 2,331.78 करोड़ था।

वर्ष 2018–19 के लिए विद्युत वितरण कम्पनियों के अंतिम खातों से पता चला कि दोनों विद्युत वितरण कम्पनियों की पूँजी पर नकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हो रहा था और वह (–) 0.42 प्रतिशत (एस0बी0पी0डी0सी0एल0) और (–) 4.72 प्रतिशत (एन0बी0पी0डी0सी0एल0) था।

इसके अलावा, दोनों विद्युत वितरण कम्पनियों पर 31 मार्च 2019 तक ₹ 96.38 करोड़ का ऋण बकाया था (एस0बी0पी0डी0सी0एल0 ₹ 56.56 करोड़ तथा एन0बी0पी0डी0सी0एल0 ₹ 39.82 करोड़)। राज्य सरकार द्वारा सभी टैरिफ सब्सिडी और ऋण दायित्व उठाने के बावजूद विद्युत वितरण कम्पनियों को अभी भी परिचालन घाटा हो रहा है।

विद्युत वितरण कम्पनियों को प्राप्त वित्तीय पैकेज का खण्डवार विश्लेषण **तालिका 1.42** में दिया गया है।

तालिका 1.42: डिस्कॉम को वित्तीय पैकेज

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं0	सहायता की प्रकृति	राशि
1.	दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड की सब्सिडी	1,369.89
2.	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को सब्सिडी	961.89
योग		2,331.78

राज्य सरकार ने उदय योजना के तहत जारी बॉन्ड पर 2018–19 में ₹ 191.36 करोड़ का ब्याज दिया है।